

जगत विज्ञान

वर्ष : 24 अंक : 7

5 से 10 मार्च 2024

2014 से पहले...

2014 के बाद...



अकर्मण्यता, अक्षमता, विचारधारा से भटकाव और हार्डकमान के बुरे बर्ताव से

खत्म हो रही है कांग्रेस

राम मंदिर पर उठाए स्टैंड से आहत हुए कांग्रेसी, इसलिए भी पलायन...



प्रेरणा स्रोत : स्व. श्री जगत पाठक



निर्भीक पत्रकारिता

संपादक
कार्यकारी संपादक
दिल्ली संवाददाता
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ
विशेष संवाददाता

विजया पाठक
समता पाठक
नीरज दिवाकर
अमित राय
अर्चना शर्मा

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय
भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल
मो. 98260-64596, मो. 9893014600
फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक,

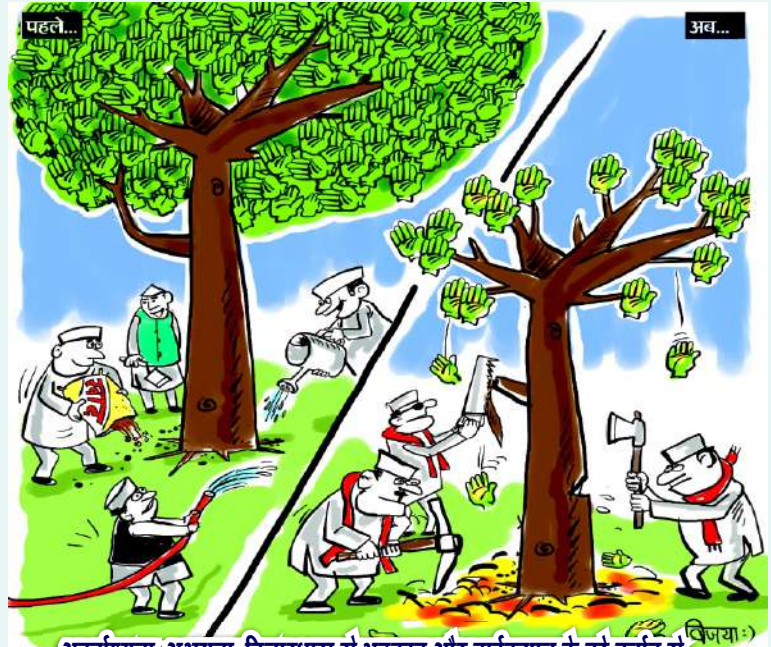
विजया पाठक द्वारा समता ग्राफिक्स
एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. द्वारा कम्पोज
एवं जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्लॉट नं. 28 सुरभि विहार
बीडीए रोड भेल भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17,
शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया
पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय
रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख
एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com

Website: www.jagatvision.co.in

मासिक द्विभाषी पत्रिका

वर्ष 24 अंक 07 05-10 फरवरी 2024



अकर्मण्यता, अक्षमता, विचारधारा से भटकाव और हाईकमान के बुरे बर्ताव से

खत्म हो रही है कांग्रेस

■ राम मंदिर पर उठाए स्टैंड से श्रावत हुए कांग्रेसी, इसलिए भी पलायन...

(पृष्ठ क्र.-6)

■ विष्णुदेव साय : सेवा, समर्पण और सुशासन के 90 दिन	30
■ आस्था और अवसर का अनुष्ठान !	34
■ संदेशखाली की महिलाओं का काला सच	44
■ राष्ट्रवाद के मुद्दे पर होगा 2024 का चुनाव	47
■ प्रत्याशियों और दलों पर चुनाव आयोग की सख्ती	50
■ समानता का कानून बनाने में उत्तराखंड ने रचा इतिहास	53
■ क्या केन्द्र सरकार की तरफ से जनसंख्या रोकने का	56
■ छह पैमानों को अपनाकर भारत 2070 तक	58
■ डिजीटल सेवाओं ने आसान बना दी जिंदगी	60
■ Mukesh Malod: Farmers' movement in the interest of Dalits	62



विजयाः)

मैं तीसरे बेटे
की नहीं सुनी जा
रही फिर आम
कार्यकर्ताओं का
क्या हाल होगा...



एक बार फिर सड़क पर उतरा देश का अन्नदाता

देश का अन्नदाता एक बार फिर अपने हकों की मांग करने के लिए सड़कों पर उतर चुका है। दिल्ली की बार्डर पर अपनी आवाज को बुलंद करने में जुटा हुआ है। हजारों की संख्या में किसान पूरे दमखम के साथ दिल्लीप में दस्तक देने को तैयार है। इसी बीच केन्द्र की मौजूदा सरकार से किसान नेताओं की बातचीत भी जारी है लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक नतीजा सामने नहीं आया है। कई दौर की वार्ताएं फैल हो चुकी हैं। इसका एक प्रमुख कारण है कि मोदी सरकार किसान संगठनों की प्रमुख मांगों पर विचार करने तक को तैयार नहीं है। इस बार के किसान आंदोलन में किसानों की सबसे बड़ी मांगें हैं- एमएसपी पर कानून बने और स्वाकमीनाथन की सिफारिशों को लागू किया जाये। इन दोनों मांगों पर सरकार ने हाथ खड़े कर दिये हैं। मोदी सरकार को तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए मजबूर करने के बाद, किसान लोकसभा चुनावों से ठीक पहले आंदोलन 2.0 के साथ वापस आए हैं और संसद तक मार्च करना चाहते हैं। दिल्ली की दहलीज पर अपना लंबा विरोध प्रदर्शन खत्म करने के दो साल बाद किसान एक बार फिर राजधानी की ओर बढ़ गए हैं। पिछले आंदोलन की बड़ी जीत ये थी कि किसानों के दबाव की वजह से नरेंद्र मोदी सरकार को अपने तीन कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। कई दौर की बैठकें हुई थीं।

देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी इस समय कृषि से जुड़ी हुई है। अगर इतनी बड़ी आबादी की आय नहीं बढ़ेगी और वह सशक्त नहीं होगी। तो क्या देश का विकास संभव है। किसान अन्नदाता हैं। भारत के भाग्य विधाता हैं। उनके अधिकार की हर हाल में रक्षा होनी चाहिए। मोटे तौर पर किसानों की सबसे बड़ी चिंता न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर है। किसानों का कहना है वे मंडी में अनाज बेचे या बाहर, लेकिन हर हाल में उन्हें एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर फिलहाल चाहे किसान हो या केन्द्र सरकार, दोनों पक्ष अपने-अपने पक्ष को लेकर खड़े हैं। यदि वाकई में मोदी सरकार किसानों की हितैषी और हमदर्द है तो आगे आकर पहल करनी होगी। आज अगर किसानों को सरकार की नियत और नीतियों पर भरोसा नहीं है तो आगे चलकर यह सरकार के लिए नुकसानदायक होगा। किसानों की आय आज भी न्यूनतम स्तर पर है। एमएसपी की गारंटी के चलते उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव से राहत मिलेगी और उन्हें फसलों का एक न्यूनतम मूल्य मिलेगा। जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी और उनकी आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी। वर्ष 2004 में प्रो. एमएस स्वामीनाथन की अगुवाई में राष्ट्रीय किसान आयोग के नाम से जो कमेटी बनी थी उसने अक्टूबर 2006 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। आयोग की रिपोर्ट भी किसानों के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है। किसान आंदोलन 2.0 की अगुवाई संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा कर रहे हैं, किसान नेताओं का दावा है कि इन दो संगठनों के बैनर तले करीब 200 ज्यादा किसान संघ शामिल हैं। साल 2020 में शुरू हुए किसान की अगुवाई संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा था। इसके बाद यह मोर्चा दो फाड़ में बंट गया। दो साल पहले दिल्ली के बार्डर पर धरने पर बैठे किसानों का आंदोलन इतना मुखर था कि नरेंद्र मोदी सरकार को झुकना पड़ा था।

विजया पाठक

पहले...

अब...



अकर्मण्यता, अक्षमता, विचारधारा से भटकाव और हाईकमान के बुरे बर्ताव से

(विजयाः)

खत्म हो रही है कांग्रेस

■ राम मंदिर पर उठाए स्टैंड से आहत हुए कांग्रेसी, इसलिए भी पलायन...

देश के इतिहास में लगभग 140 साल पुरानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी आज कहीं खत्म सी होती दिख रही है। मुझे याद है 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद जब मैं दिल्ली स्थित 24 अकबर रोड पार्टी दफ्तर को कवर कर रही थी तब पार्टी के वरिष्ठ एवं निष्ठावान नेता जो कि हार के बाद भी हारे नहीं दिख रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि कांग्रेस पार्टी भारत देश में गंगा नदी की तरह है, मां गंगा कितनी भी प्रदूषित हो जाए उसका बहाव कभी नहीं रुकता है। आज उस बात को करीब 10 साल हो गए हैं। वो वरिष्ठ नेताओं ने अब पार्टी छोड़ दी है, मैंने इस स्टोरी के लिए उनसे पुनः बात की और उनके गंगा वाली बात याद दिलाई तो उन्होंने मुझे कहा कि पार्टी के आलाकमान के आलाकमान ने जो बांध बना दिया है। उससे गंगा यहां पर कांग्रेस पार्टी का धारा और बहाव खत्म हो गया है। उन वरिष्ठ नेता ने पार्टी के आलाकमान का आलाकमान शब्द का उपयोग किया। वास्तव में आज आलाकमान की कोटरी ही पार्टी के हर निर्णय कर रही है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिस पार्टी के सिद्धांत लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाज के प्रति अपनी निष्ठा था आज वो करीब-करीब कम्युनिज्म की तरफ हो गया है। आलाकमान के खास कोटरी अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि इतनी तादाद में कांग्रेस के बरों पुराने निष्ठावान नेता आज मनबूरी में पार्टी छोड़ रहे हैं। मीडिया में ऑफ द रिकॉर्ड्स ब्रीफिंग अपने नेताओं के खिलाफ की जाने लगी है। साथ ही वरिष्ठों को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा जाता। पार्टी की राज्य इकाई का ट्रांसफॉर्मेशन में अब नेताओं के खास सलाहकार वामपंथी ही हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के राज्य इकाई में भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और मीडिया सलाहकार रुचिर गर्ग हैं। आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस की हालत किसी से छुपी नहीं है। ऐसा ही कुछ हाल मध्यप्रदेश कांग्रेस का है। चुनाव के बाद जिस तरह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अपमानित किया गया। राज्यसभा में किसी वरिष्ठ नेता को नहीं भेजा गया। साथ-साथ आलाकमान की कोटरी ने प्रदेश अध्यक्ष को जिस तरीके से बदलवाया उसी का नतीजा निकला है कि आज प्रदेश राजनीति के बड़े नेता सुरेश पचौरी समेत अन्य ने भाजपा का दामन थाम लिया है। सोचने वाली बात यह है कि चुनावी राजनीति के लिहाज से भाजपा एक चुस्त दुरुस्त मल्टीनेशनल फर्म जैसा काम करती है। मोदी के राज में पार्टी में तुरंत फैसले होते हैं और उस फैसले को अमलीजामा पहनाया जाता है, पर इसी के अंतर कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली एक लालफीताशाही से घिरे सरकारी उपक्रम के समान है। पार्टी अध्यक्ष वेणुगोपाल से पूछते हैं और वेणुगोपाल फिर राहुल गांधी से। बाकी बीच यह कोटरी अपना काम करवा देती है क्योंकि यहां पर डिसीजन मेकिंग में काफी समय लगता है। आज की हालत और आलाकमान की यह कोटरी कहीं कांग्रेस पार्टी को खत्म ही ना करवा दे। आज कांग्रेस नेताओं का कांग्रेस से मोहभंग का सबसे प्रमुख कारण अयोध्या में राममंदिर मामले पर पार्टी हाईकमान के कदम को भी माना जा रहा है। जबकि राजीव गांधी के समय राममंदिर का मुद्दा उनके घोषणा पत्र में भी था और उनके कहने पर ही रामलला के पट खोले गये थे। जगतगुरु शंकराचार्य स्व. स्वरूपानंद जी महाराज ने एक नोट दिया था जिसके बाद ही रामजन्मभूमि के पट खुले और पूजा हो पाई। जहां तक मध्यप्रदेश की बात की जाये तो यहां पर भी काफी उथल-पुथल हो रही है। एक-एक करके प्रदेश से भी दिग्गज नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। हाल ही में प्रदेश के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरा सुरेश पचौरी पार्टी को छोड़कर चले गये हैं। इससे पहले 2020 में कांग्रेस के कददावर नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर नवनिर्वाचित कमलनाथ सरकार को ही गिरवा दिया था। उस समय भी पार्टी हाईकमान ने ध्यान न देकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। खासकर 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद तो स्थिति और गंभीर होती जा रही है। ऐसी ही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में कांग्रेस प्रदेश से समाप्त हो जायेगी। इस विकट समय में प्रदेश में केवल एक ही नेता है जो पार्टी को संगठनात्मक रूप में एक करके रख सकता है और वह नेता हैं कमलनाथ।

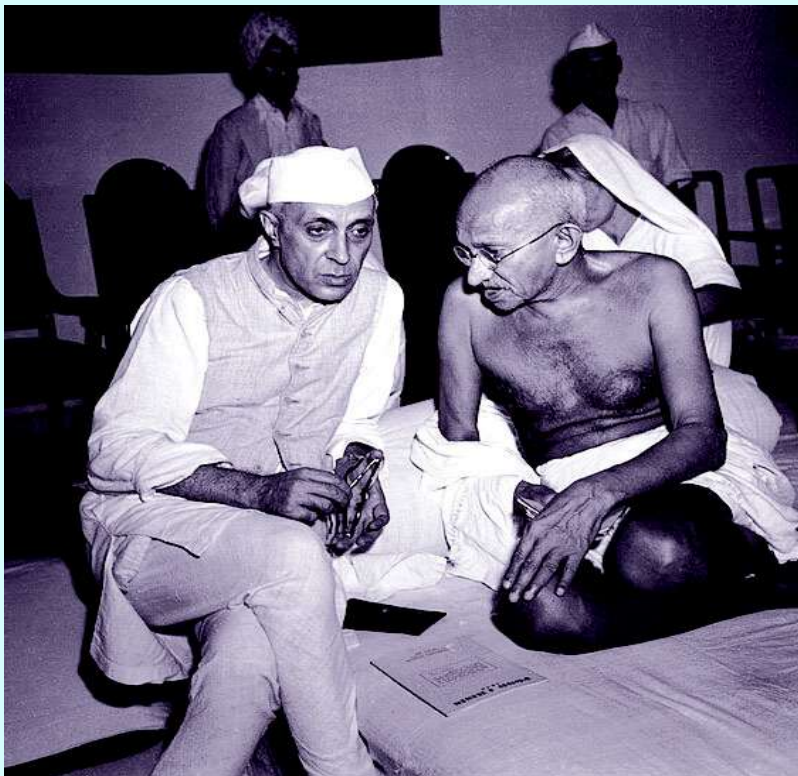
विजया पाठक

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना से जुड़े जिन 72 व्यक्तियों के सपनों को लेकर आगे बढ़े थे देश की आज वही सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का अस्तित्व संकट में जाता दिखाई दे रहा है। कभी देश की सबसे मजबूत प्रत्याशियों से भरपूर कांग्रेस पार्टी आज चंद चाटूकारों के दिमाग से संचालित हो रही है। अगर ऐसा ही रहा तो निश्चित ही वह दिन दूर नहीं जब इस पार्टी को लोगों के जहन से निकलने में समय नहीं लगेगा और यह दल पूरी तरह से जमींदोज हो जाएगा। यह बात मैं इसलिए भी पूरे भरोसे के साथ कह पा रही हूं क्योंकि राजीव गांधी के समय और उसके बाद पार्टी को कुछ हद तक सोनिया गांधी ने संभाला। लेकिन समय बीतते-बीतते गांधी परिवार के आसपास एक कोटरी बन गई है जिनकी संख्या अधिक हो गई और यही कारण है कि आज पार्टी का अस्तित्व संकट में है। कभी देश के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्तियों और ज्ञानी व्यक्तियों के समूह इस पार्टी में काम किया करते थे। लेकिन आज कांग्रेसी विचारधारा से अलग लोग इस पार्टी में आने और पार्टी आलाकमान के सलाहकार मंडल में आते ही उन्होंने पार्टी को समाप्त करने का पूरा प्लान बना लिया है। मानों इन लोगों की चाल ढाल देखकर ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें कांग्रेस को समाप्त करने का ठेका दे दिया हो।

कांग्रेस से मोहभंग, पार्टी हाईकमान को फिक्र नहीं

वर्ष 2019 से लेकर अब तक कांग्रेस के दर्जनों वरिष्ठ नेता पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। इसकी शुरुआत मिलिंद देवड़ा से हुई थी। जहां मिलिंद देवड़ा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया था। आम चुनाव से ठीक पहले मिलिंद देवड़ा जैसे बड़े नेता का पार्टी को छोड़कर जाना कांग्रेस को

अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस



राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक मीटिंग में कहा था कि जब भारत आजाद होने के बाद कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। क्या गांधी जी की वह बात सच साबित हो रही है। क्योंकि मौजूदा समय में कांग्रेस की जो स्थिति है वह किसी से छुपी नहीं है। तिनके की तरह उसका कुनबा बिखर रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोग कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं। पिछले एक दशक में जिस भारत ने आकार लिया है, उसमें कांग्रेस शासित भारत इतना पीछे छूट गया है कि पार्टी के अस्तित्व तक पर संकट खड़ा हो गया है और सत्ता में लौटना तो दूर की बात है,

ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। खास बात ये है कि मिलिंद देवड़ा कांग्रेस छोड़कर जाने वाले पहले नेता नहीं हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने

16 मई 2022 को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे के एक हफ्ते बाद इसकी घोषणा की थी। उन्होंने बाद में समाजवादी पार्टी की तरफ से



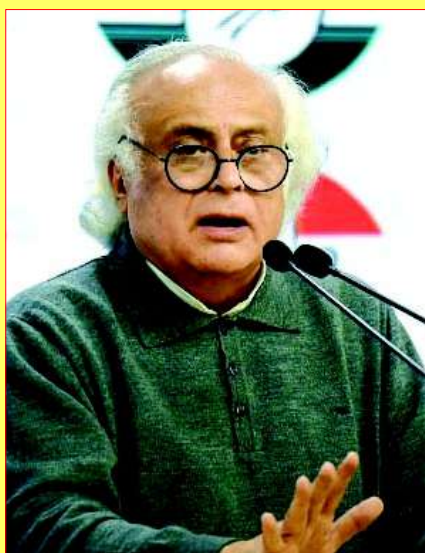
उसके मुख्य विपक्षी दल तक बने रहने की संभावनाएं धूमिल हो रही हैं। अब लोकसभा चुनाव भी होने हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद अहम हैं। 2014 में सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस लगातार 02 लोकसभा आम चुनाव हार चुकी है और कई राज्यों में सरकारें गंवा चुकी है। ऐसे में 2024 में होने वाले आम चुनाव उसके लिए बेहद अहम हैं। क्योंकि यह उसके अस्तित्व की लड़ाई है। हालांकि यह कम ही समझ आ रहा है कि वह लोकसभा चुनाव में एक दमदार पार्टी की तरह चुनाव मैदान में है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि जब इस समय चुनाव की रणनीति तैयार करनी चाहिए और आपके नेताओं को दिल्ली कैंप करना चाहिए। ऐसे समय राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं। इतिहास के सबसे खराब समय से कांग्रेस जूझ रही है। पार्टी के दिग्गज नेता लगातार पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। जिस पार्टी ने एक समय पूरे देश पर एकछत्र राज किया हो वह पार्टी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। वह अर्श से फर्श पर पहुंच चुकी है। हालांकि यह बात भी सच है कि कांग्रेस की इस दुर्गति के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह अपनी विचारधारा में इस तरह से परिवर्तन कर लेगी। दरअसल आज के कांग्रेस पार्टी के वो नेता जो आलाकमान की खास कोटरी में आते हैं या आलाकमान के आफिस समझते हैं वो वामपंथी विचारधारा से आते हैं। कहने का मतलब विचारधारा कोई भी खराब नहीं होती जैसे वामपंथी, दक्षिण पंथी हो या समाजवादी पर जिस मूल सिद्धांत के उपर कांग्रेस पार्टी की नींव खड़ी है उसे ऐसे नेताओं ने अपनी विचारधारा थोप कर पार्टी को कमजोर कर दिया है। पार्टी के अंदर मौजूद कुछ नेता पार्टी को गर्त में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। केरल कैडर के खास नेता जो दक्षिण भारत से आते हैं वो उत्तर भारत की नब्ज टटोलने में नाकाम रहे हैं। बल्की उन्होंने उत्तर भारत में उन नेताओं की कमान सौंपी जिनका बहुत ज्यादा राजनीतिक दबदबा नहीं है, साथ ही उनके लिए हुए यह नेता जब वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की लगातार अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। जिस कारण भी पार्टी का पतन हो रहा है। जिस बात को गांधी परिवार समझ नहीं पा रहा है। कांग्रेस पार्टी के भीतर उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत चल रहा है। पार्टी में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के नेताओं के बीच संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। सारे महत्वपूर्ण पदों पर दक्षिण के नेता बैठे हुए हैं। इसलिए पार्टी ने इस तरह का फैसला लिया है। जिसका उनको नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये नेता अपने फैसलों को पार्टी पर लाद रहे हैं। अब चाहे फायदे हों या नुकसान। इससे इन दक्षिणी नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अयोध्या में भगवान श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद ये मामला और उभरा है। कांग्रेस के कई नेता चाहते थे कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और अधीर रंजन चौधरी इस समारोह में शामिल हों। ये नेता मुख्य रूप से उत्तरी और पश्चिमी राज्यों से हैं। जबकि दक्षिणी राज्यों के कई नेताओं को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा गया। केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, रमेश चेन्नितला जैसे पार्टी नेताओं ने तर्क दिया कि राम मंदिर के कार्यक्रम में कांग्रेस की उपस्थिति से भाजपा को बढ़ावा मिलेगा। जबकि वह भूल गये कि राममंदिर के मुख्य प्रणेता में से एक स्व. श्री राजीव गांधी रहे हैं।

राज्यसभा सांसद के तौर पर नामांकन भरा था। कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आज़ाद ने 2022 में पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। ये वह दौरान पार्टी छोड़ने वाले सबसे

बड़े नेताओं में से एक थे। इस्तीफा 2022 में पार्टी द्वारा झेले गए सबसे बड़े निष्कासन में से एक था। गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू-कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी

के नाम से अपना दल बना लिया है। गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने मई 2022 में अपने त्याग पत्र के साथ राहुल गांधी को नाराज करते हुए कांग्रेस छोड़ दी थी। राहुल

क्या जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला हैं पार्टी के पतन के लिए जिम्मेदार?



इस समय जयराम रमेश ही एक मात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो राहुल गांधी के सबसे करीबियों में गिने जाते हैं। बताया जाता है कि जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला ने ही वामपंथी विचारधारा वालों को पार्टी में आगे बढ़ाने का फैसला किया है और राहुल गांधी भी कई हद तक उनकी बातों से सहमत होकर फैसला कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की आंखों में एक ऐसे व्यक्ति ने पट्टी बांध रखी है जो खुद तो कभी कोई चुनाव जीत नहीं सका और दूसरे नेताओं को राजनैतिक की एबीसीडी पढ़ाने का काम कर रहा है। यही नहीं जानकारी तो इस बात की भी लगी है कि मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार को गिरवाने में बड़ा हाथ जयराम रमेश का ही था। क्योंकि जयराम रमेश ने ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को भला-बुरा कहा और उनको आहत कर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलने से इंकार करवाया। यही नहीं रमेश ने ही पूरी कांग्रेस पार्टी का बंटधार कर दिया है और आने वाले समय में इस पार्टी को पूरी तरह से समाप्त करने की चाल में है। इसका सीधा सा मकसद है रमेश खुद कांग्रेस प्रमुख की सीट पर बैठकर अपने हिसाब से पार्टी का संचालन करना चाहते हैं। जयराम रमेश के अड़ियल रवैये के वजह से अब तक कई वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर अलग हो चुके हैं।

गांधी हार्दिक को 2019 में पार्टी में लेकर आए थे। अपने त्याग पत्र के बाद वह बीजेपी में शामिल हो गए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने पंजाब चुनाव से कुछ दिन पहले फरवरी 2022 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। पार्टी के एक अनुभवी नेता रहे

**वामपंथी
विचारधारा से घिर
चुकी है कांग्रेस**

अश्विनी कुमार 2019 के चुनावों में हार के बाद पार्टी छोड़ने वाले पहले नेताओं में शामिल थे। सुनील जाखड़, जिन्होंने पंजाब कांग्रेस इकाई का नेतृत्व किया था, ने 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की आलोचना करने के लिए



यात्राओं से क्या हासिल हुआ?

देश में लोकसभा के चुनाव है। कांग्रेस पार्टी में काफी उथल-पुथल मची है और प्रत्येक दिन कोई नेता कांग्रेस का दामन छोड़ रहा है। इसके उलट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी देश के अंदर न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। लगता है उन्हें कांग्रेस की दुर्गति के बारे में पता ही नहीं है। कांग्रेस का कुनबा बिखर रहा है और वह यात्राओं में मशगूल है। आखिर सवाल उठता है कि राहुल गांधी की यात्रा की यात्रा से क्या हासिल हो रहा है। इससे पहले भी उन्होंने विधानसभा चुनावों के दौरान यात्रा निकाली थी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हार गई। अब भी शायद यही स्थिति होने वाली है।

नेतृत्व द्वारा कारण बताओ नोटिस मिलने के बाद पार्टी छोड़ दी थी। वह मई में भाजपा में शामिल हुए और उसी साल जुलाई में उन्हें बीजेपी पंजाब इकाई का प्रमुख बना दिया गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह

जनवरी 2022 को कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। वो उत्तर प्रदेश चुनाव

से ठीक पहले ऐसा करने वाले सबसे प्रमुख नेता बन गए। पिछड़ी जाति के प्रमुख नेता

नाराज नेताओं को मनाने तक नहीं पहुंचे पार्टी के वरिष्ठ नेता

पार्टी से नाराज नेताओं ने पार्टी को छोड़ने का मन बना लिया लेकिन घमंड में डूबी कांग्रेस पार्टी ने कभी भी एक भी नेता को मनाने का फैसला नहीं किया। सूत्रों के अनुसार नाराज व्यक्तियों को न मनाने का फैसला जयराम रमेश का है। उन्होंने ने भी पार्टी के आला पदाधिकारियों को नाराज व्यक्तियों को मानने को लेकर इंकार किया था। उनका मानना था कि अगर कोई जाए तो पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ ही वरिष्ठ नेताओं के जाने से ही पार्टी आज पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है और पार्टी का अस्तित्व खतरे में है।

राहुल की आंख में पट्टी बांध कांग्रेस को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं जयराम रमेश

मध्यप्रदेश

आलाकमान के कारण मध्यप्रदेश में खत्म हो रही कांग्रेस

विजयाः)

मैरे तीसरे बेटे
की नहीं सुनी जा
रही फिर आम
कार्यकर्ताओं का
क्या हाल होगा...



सिंह कथित तौर पर यूपी अभियान में साइड लाइन किए जाने से नाराज थे। जितिन

प्रसाद, जो पहले केंद्रीय मंत्री भी रहे थे और राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे, ने

2021 में कांग्रेस छोड़ दी थी। इसके बाद वो भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। उस दौरान

प्रदेश में कांग्रेस को जीवित रखना है तो कमलनाथ को पॉवर देना होगा



देश सहित प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी में काफी उथल-पुथल हो रही है। एक-एक करके प्रदेश से भी दिग्गज नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। खासकर 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद तो स्थिति और गंभीर होती जा रही है। ऐसी ही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में कांग्रेस प्रदेश से समाप्त हो जायेगी। इस विकट समय में प्रदेश में केवल एक ही नेता है जो पार्टी को संगठनमय रूप में एक करके रख सकता है और वह नेता है कमलनाथ। लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने उनकी जगह पर युवानेता

जीतू पटवारी को प्रदेश की कमान थमा दी है। हाईकमान के इस फैसले के बाद तो पार्टी की स्थिति और बदतर हो गई है। इसके साथ ही जीतू पटवारी की लीडरशिप पर भी प्रश्नचिह्न लग गया है। वर्तमान में उनसे पार्टी संभल ही नहीं रही है। सुरेश पचौरी जैसे कद्दावार नेता को पार्टी को छोड़ना पड़ रहा है। सवाल उठता है कि क्या पटवारी की लीडरशिप में वह काबिलियत नहीं है कि वह नाराज नेताओं से बात कर उनकी नाराजगी को दूर कर सकें। अपने सीनियर नेताओं से

वह यूपी में कांग्रेस के शीर्ष ब्राह्मण चेहरे थे। अपने फैसले का बचाव करते हुए उन्होंने

कहा था कि भाजपा एकमात्र वास्तविक राजनीतिक पार्टी है। कांग्रेस के पूर्व

विधायक अल्पेश ठाकोर ने जुलाई 2019 में दो राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव में



सलाह ले सकें। चंद दिनों में लोकसभा के चुनाव है ऐसे में अगर कोई नेता पार्टी छोड़ता है तो निश्चित ही माहौल खराब होता है। हालात कुछ भी रहे हो लेकिन हमने देखा है कि कमलनाथ के समय ऐसा कम होता था। वह नाराज नेताओं से बात करते थे, उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास करते थे। हम जानते हैं कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जो जीत मिली थी वह कमलनाथ के नेतृत्व और कुशलता के कारण मिली थी। कमलनाथ ही वह नेता रहे हैं जो तन, मन और धन से पार्टी से जुड़े हुए हैं।

कमलनाथ के कारण नहीं जयराम रमेश के कारण सिंधिया ने छोड़ी थी कांग्रेस

जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ रहे थे उस समय बहुत सारा घटनाक्रम हुआ था। पार्टी हाईकमान चाहता तो उस सिंधिया को पार्टी छोड़ने से रोका जा सकता था। लेकिन बताया जाता है कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश नहीं चाहते थे कि सिंधिया कांग्रेस में रहे।

यही कारण है कि उन्होंने सिंधिया को राहुल गांधी से मिलने ही नहीं दिया गया। सिंधिया को यह बात बहुत खटकी थी। कहा जाता है कि

इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया और जयराम रमेश के बीच की खींचतान ने उनकी सरकार को गिरा दिया।

राहुल के एक गलत राजनीतिक कदम से मध्यप्रदेश सहित देश में कांग्रेस का अस्तित्व आया संकट में

जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ रहे थे उस समय बहुत सारा घटनाक्रम हुआ था। पार्टी हाईकमान चाहता तो उस सिंधिया को पार्टी छोड़ने से रोका जा सकता था। लेकिन बताया जाता है कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश नहीं चाहते थे कि सिंधिया कांग्रेस में रहे। यही कारण है कि उन्होंने सिंधिया को राहुल गांधी से मिलने ही नहीं दिया गया।

जहां-जहां तेरे पांव पड़े वो धरती बंजर हो जाये... कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संदर्भ में यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। दरअसल राहुल गांधी पिछले कई समय से मध्यप्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं। राहुल की सक्रियता और उनके सिपासलारों के गलत फीडबैक का ही नतीजा है कि आज मध्यप्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में जिस तरह से कांग्रेस नेताओं के पार्टी से दूरी बनाने का एक सिलसिला शुरू किया है। वह लोकसभा चुनाव की घोषणा तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी मध्यप्रदेश में सबसे मजबूत पार्टी के रूप

में पहचान रखने वाली कांग्रेस में आज गिनती भर के नेता रह गये हैं। कई बड़े दिग्गत इस पार्टी को अलविदा कह चुके हैं और कुछ जल्द ही

पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ मतदान करने के बाद पार्टी छोड़ दी थी कांग्रेस के दिग्गज

नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने पिछले साल जनवरी में पार्टी

छोड़ दी और अगले महीने भाजपा में शामिल हो गए थे।



मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी से प्रदेश में पार्टी संभल नहीं रही है। उनके कार्यकाल में कांग्रेस के कई दिग्गज पार्टी को छोड़ चुके हैं। जबकि सिर पर लोकसभा के चुनाव है। दूसरी ओर लोकसभा के उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। तमाम मामलों को उनकी लीडरशिप पर भी प्रश्न चिन्ह लग चुका है।

कहने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर सुरेश पचौरी इतने बड़े दिग्गत नेताओं का पार्टी को इस तरह से अलविदा कह देना इस बात की ओर इशारा करता है कि इस पार्टी में आम से लेकर खास नेताओं की कोई सुनवाई नहीं है। अगर सुनवाई है तो केवल गांधी परिवार के चारों तरफ घूमने वाले या फिर जयराम रमेश जैसे कम्युनिस्ट नेताओं की। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत सहित पश्चिम भारत से पार्टी के कई प्रमुख नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। यही नहीं हद तो तब हो गई जब वरिष्ठ नेता एक के बाद एक पार्टी छोड़ते गये और लाट साहब राहुल गांधी बैठे रह गये और तमाशा देखते रह गये। अगर उसी समय अपना ईगो किनारे रखकर वे पार्टी नेताओं से नाराजगी पर बात करते तो आज यह दिन नहीं देखने को मिलते और लोकसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी टक्कर देने वाली पार्टी कांग्रेस ही होती।

मैं यह बात पूरे विश्वास के साथ इसलिए भी कह सकती हूँ कि मैंने

स्वयं मध्यप्रदेश में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की छवि को छीछलेदर होते देखा है। मैंने देखा कि कमलनाथ जैसे सक्रिय और वरिष्ठ नेता ने अपनी सरकार गिरने के बाद भी पूरे शिद्दत के साथ पार्टी की सेवा की और नेताओं को बांधे रखने में सफलता प्राप्त की। लेकिन विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद इस हार का पूरा ठीकरा राहुल गांधी व गांधी परिवार के सिपाहसलारों ने कमलनाथ के ऊपर फोड़ दिया। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी अब कोई छोटे व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें सलाह की आवश्यकता हो या फिर यूँ कहें कि उन्हें खुद से आगे आकर पार्टी की कार्यशैली और पार्टी की कमजोरियों को बारीकी से देखकर उनमें सुधार की आवश्यकता है। लेकिन कुछ चुनिंदा कम्युनिस्टों की राह पर हर चुनाव के पहले राहुल गांधी झंडा लेकर यात्राओं पर निकल जाते हैं। अब अगर हम राहुल गांधी की इस यात्रा के परिणामों का आंकलन करें तो देखने को मिलता है कि जिन जिन स्थानों पर राहुल गांधी की यात्राएँ हुई हैं उन स्थानों पर कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मतलब साफ है

विलुप्त होने के कगार पर कांग्रेस
एक समय भारत में सत्ता की पार्टी रही

कांग्रेस को लगातार अभूतपूर्व हार का सामना करना पड़ रहा है। भारत की राष्ट्रीय

कांग्रेस पार्टी अस्तित्व के संकट का सामना कर रही है। अजेय रही और स्वतंत्र भारत पर

कि राहुल गांधी को अपने आंख में बंधी पट्टी को खोलकर उन लोगों की पहचान करने की आवश्यकता है जो आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं और पार्टी को मजबूती देने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं।

लोकसभा चुनावों में कमलनाथ की सक्रियता जरूरी

कांग्रेस आलाकमान ने भले ही भाजपा की चाल देखकर प्रदेश अध्यक्ष बदलने का फैसला लिया हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस आलाकमान का यह फैसला पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। कमलनाथ एक मात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने राजनैतिक अनुभवों के आधार पर ही राज्य में कांग्रेस को संगठित कर एक सूत्र में पिरोया और पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरे। यही नहीं पार्टी के अंदर जो भी कार्यकर्ताओं और विधायकों, राजनेताओं के बीच आपसी मनभेद और मतभेद थे उन्हें सबको समाप्त कर उन्होंने पार्टी को मजबूती दी। यह उन्हीं की योजना का हिस्सा था कि वे इस बार पूरे दल-बल के साथ लोकसभा

चुनाव में उतरने के लिये तैयार थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान के इस फैसले से पूरी योजना अधर में लटक गई। कमलनाथ ही एक मात्र वह व्यक्ति हैं जो पार्टी को लोकसभा चुनाव में मजबूती दे सकते हैं। उन्होंने कुछ वर्षों में मध्यप्रदेश में रहकर जमीनी स्तर पर कार्य किया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भाजपा में विलय को लेकर काफी

चर्चाएं हुईं लेकिन कमलनाथ इतने कद्दावर नेता हैं कि उन्होंने दो टूक भाजपा में जाने से इंकार कर दिया और सारी उम्र कांग्रेस पार्टी की सेवा करने का फैसला किया है। कमलनाथ ने कभी भी पद को प्रमुखता नहीं दी है। उनके लिए पद कोई मायने नहीं रखता है।

लोकसभा चुनाव लड़ने से कतरा रहे कांग्रेस नेता

मध्यप्रदेश से सुरेश पचौरी का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। इसके साथ ही मप्र से कांग्रेस नेताओं का लोकसभा चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए नेता ही नहीं मिल रहे हैं। जो नेता कांग्रेस में जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, वे भी लोकसभा का चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। कोई न कोई बहाना बनाकर कत्री काट रहे हैं। इस तरह आधे-अधूरे मन से भला लोकसभा चुनाव कैसे जीता जा सकता है? चुनाव घोषित होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी दिखाई दे रही है। चार सौ पार का उसका नारा निश्चित तौर पर

कोई जादुई काम करने वाला है। इस सब के बीच कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं में किस तरह जोश भरेगी, यह बड़ा मुश्किल का मैदान नज़र आ रहा है।

पिछले पांच साल में कांग्रेस छोड़ने वाले 65 नेताओं ने छोड़ी पार्टी

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पचौरी, पूर्व विधायक संजय शुक्ला, पूर्व विधायक विशाल पटेल, पूर्व एमपी और आदिवासी नेता माखन सिंह सोलंकी (बड़वानी), पंकज संघवी, सेवड़ा के पूर्व विधायक राधेलाल बघेल, जनसंघ के संस्थापक सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी, आष्टा विधानसभा के जिला पंचायत सदस्य कमल सिंह चौहान, देशराज सिंह के पुत्र यादवेंद्र सिंह यादव (अशोक नगर), पूर्व एमपी कंकर मुंजारे की पत्नी पूर्व एमएलए एवं अनुभा मुंजारे और उनके पुत्र, सतना के अल्पसंख्यक नेता पूर्व मंत्री सईद

अहमद, नरयावली के एमएलए प्रदीप लारिया के भाई हेमंत लारिया, हरदा से मंत्री कमल पटेल के करीबी दीपक सारण, प्रसिद्ध पर्वतारोही मेधा परमार, नीतू परमार नगर पालिका अध्यक्ष मुल्ताई बैतूल, पंकज लोधा, धार, समंदर पटेल, नीमच, अजुम रहबर, इंदौर, रोशनी यादव, निवाड़ी, बैजनाथ सिंह यादव, शिवपुरी, वेदांती त्रिपाठी, नितिन दुबे पत्रकार, सीहोर, ध्रुव प्रताप सिंह,

विजयराघौगढ़, कटनी, मलखान सिंह, भिंड, अवधेश नायक, दतिया, शुभांगना राने, धार, नीरज शर्मा, सुरखी सागर, जितेन्द्र जैन गोदू, राजकुमार धनौरा सुरखी, राजू दांगी, दतिया, देवराज बागरी, सतना, वंदना बागरी, सतना, शंकर महतो, बहोरीबंद (कटनी), बजरंग सेना, रघुनंदन शर्मा, रामशंकर मिश्रा, अरुण पाठक, उर्मिला मराठा, अम्बरीश राय, राजेन्द्र सिंह मुरावर, रणवीर पटैरिया, बीजेपी के पूर्व एमएलए भंवर सिंह शेखावत, जिला धार, 2 बार झांसी से सांसद रहे सुजान सिंह बुंदेला के पुत्र चंद्रभूषण सिंह बुंदेला, बीजेपी एमएलए वीरेंद्र रघुवंशी, छेदीलाल पांडे शिवम पांडे कटनी, अरविंद धाकड़ शिवपुरी, अंशु रघुवंशी गुना, डॉ. केशव यादव भिंड, पूर्व गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता के भांजे डॉ. आशीष अग्रवाल गोलू, भोपाल, महेंद्र प्रताप सिंह नर्मदापुरम, गिरिजाशंकर शर्मा, पूर्व विधायक।

करीब पांच दशकों तक शासन करने वाली कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी

भारतीय जनता पार्टी को आम चुनावों में भारी जीत हासिल करने से रोकने में विफल

रही। जिससे विपक्ष लगभग अप्रासंगिक हो गया है। मोदी को चुनौती देने के लिए

कांग्रेस छोड़ने के बाद आये नेताओं के बयान



ज्योतिरादित्य सिंधिया

मैं पिछले 18 से पार्टी से जुड़ा हूँ लेकिन अब आगे बढ़ने का समय है। मेरा लक्ष्य और उद्देश्य वही है जो शुरू से ही रहा है, अपने राज्य और देश के लोगों की सेवा करना, मेरा मानना है कि मैं अब यहां करने में

असमर्थ हूँ। मेरा कांग्रेस में काफी अपमान हुआ है। इसी अपमान के कारण मैंने यह कदम उठाया है। मुझे कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी का लोभ नहीं था। किसी और को इसके लिए चुना गया है तो भी मुझे रती भर फर्क नहीं पड़ा। मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री पद न मिलना कांग्रेस छोड़ने का कारण कभी नहीं था। कांग्रेस ने मेरे आत्मसम्मान को झकझोर दिया। मैंने कभी आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया। जब इस पर आंच आई तो मैंने कांग्रेस छोड़ देने का फैसला किया। हर किसी चीज के साथ समझौता कर सकते हैं। लेकिन, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कतई कम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। अपनी जिंदगी में उन्होंने कभी आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया।



संजय शुक्ला

बीजेपी मेरा परिवार है और मैं वापिस लौट आया हूँ। कांग्रेस ने अयोध्या मामले में जो कदम अपनाया है उससे ठेस पहुंची है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो जनभावनाओं से जुड़ा है। इसका सम्मान होना चाहिए।



विशाल पटेल

अयोध्या का निमंत्रण मिला, लेकिन उसे ठुकरा दिया ये इस बात का साक्ष्य है कि वह धर्म के खिलाफ हैं। कांग्रेस पार्टी अब सिर्फ मां और बेटे के बीच ही सिमट कर रह गई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ना कुछ समझते हैं, ना विजन है, ना उस व्यक्ति के पास कोई ऐसी चीज है, जिससे वह

किसी को रोक सके, ना कोई दिशा है, वह दिशाहीन हो चुके हैं, जिस प्रकार से उनका वरिष्ठ लोगों के प्रति आम कार्यकर्ताओं के प्रति जो रवैया रहा है, वह एक बड़ा कारण रहा, मध्यप्रदेश में अनेक ऐसे नेता है, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे।



जगत बहादुर

अयोध्या में श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कांग्रेस द्वारा आमंत्रण ठुकराने से काफी आहत था। उस दिन सोचा था बीजेपी में आ जाना चाहिए। कांग्रेस आज जिस विचारधारा पर चल रही है उससे पार्टी को नुकसान होने वाला है। पार्टी या व्यक्ति से बड़ा राष्ट्र है। राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। जबलपुर में अब विकास की गंगा

बहेगी। अब ट्रिपल इंजन की सरकार से जबलपुर का विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में देश के साथ-साथ प्रदेश का भी सर्वोपरि विकास हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जबलपुर का विकास भी होगा।

एकजुट विपक्ष बनाने के लिए कुछ प्रमुख क्षेत्रीय विपक्षी दलों द्वारा कांग्रेस पार्टी के

साथ गठबंधन करने के परिदृश्य के साथ यह संभावना तेज हो गई। लेकिन मतदान का

समय नजदीक आने के साथ ही नेतृत्व स्तर पर मतभेदों के कारण विपक्ष बंटा हुआ होने

कांग्रेस पार्टी ने सुरेश पचौरी के रूप में खोया देश में अपना सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा



कांग्रेस को छोड़ना मेरे लिये पीड़ादायक रहा है। पर पिछले कुछ समय से पार्टी द्वारा और खासतौर पर कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा अयोध्या में भगवान श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पत्र को अभद्र शब्दों का उपयोग किया गया उससे मैं बहुत आहत हूँ। साथ-साथ इंडी गठबंधन के साथी दल जैसे डीएमके पार्टी द्वारा और उसके कुछ नेता जैसे स्टाइलिन और ए. राजा द्वारा भगवान राम के अस्तित्व को लेकर उंगली उठाने वालों पर कांग्रेस पार्टी ने कोई स्टैंड नहीं लिया। जबकि एक समय कांग्रेस भी सनातन धर्म के साथ हुआ करती थी। देश के प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव

गांधी ने मुझे एक दायित्व सौंपा था, जिसमें अयोध्या के भगवान श्रीराम मंदिर का शिलायास को लेकर था। चूंकि बचपन से मैं सनातनी और धार्मिक वातावरण में साधू-संतों के बीच में रहा हूँ और मुझे सनातनी होने का गर्व भी है। तब जगतगुरु शंकराचार्य श्री स्व. रूपानंद जी महाराज से मिलकर उन्होंने अयोध्या को लेकर एक नोट दिया जिसके बाद ही रामजन्मभूमि के पट खुले और पूजा हो पाई। 21 सितम्बर, 1989 को राजीव जी ने पत्र लिखकर मुझे धन्यवाद भी दिया था। इसके साथ ही देवराहा बाबा जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा

के कारण यह संभावना जल्द ही खत्म हो गई। हालाँकि गांधी की कांग्रेस पार्टी ने भारत

की संसद के निचले सदन, 543 सदस्यीय लोकसभा में 52 सीटें प्राप्त करके 2014 के

चुनावों की तुलना में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन इसका भाजपा की 300 से



हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए सुरेश पचौरी से बातचीत करती हुई जगत विजन पत्रिका की संपादक विजया पाठक।

गांधी के इष्ट भी थे, राजीव जी को उनका आशीर्वाद दिलाने के लिये मैं भी ले गया था। दरअसल भारत के इस गौरवशाली सनातनी धर्म को लेकर कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा की गई टिप्पणी से काफी आहत था। इसके अलावा सेना के सर्जिकल स्ट्राइक और शौर्य पर उगली उठाना भी मुझे अच्छा नहीं लगा। प्रदेश कांग्रेस में नेताओं द्वारा गुपचुप तरीके से मीडिया ब्रीफिंग देना भी अच्छा नहीं लगता था। हमारे प्रत्याशियों के खिलाफ ही हमारे कुछ नेताओं ने अपना प्रत्याशी खड़ा करके हरवाने में अहम रोल अदा किया था। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के अंदर माहौल काफी खराब हो चुका है। लीडरशिप पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। वरिष्ठ नेताओं का एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। मैंने किसी पद या लालसा के कारण बीजेपी को ज्वाइन नहीं किया है।



पंकज संघती

मैं मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ काम नहीं कर सकता, जबसे वे अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने आज तक संपर्क नहीं किया। मैं कांग्रेस में था, लेकिन अब उस पार्टी में नेता का सम्मान नहीं बचा है। अब कांग्रेस में

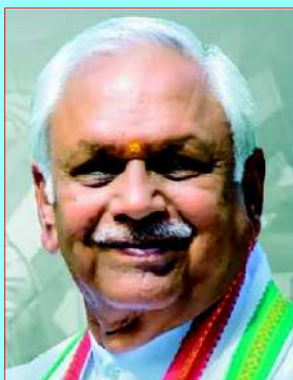
कोई आपको टाइम नहीं देता। उपेक्षित हो रहे नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। जब वह सांसद का चुनाव लड़ रहे थे, तब जीतू पटवारी अपनी विधानसभा को छोड़ हेलीकाप्टर में घूम रहे थे। मैं किसी दबाव में बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ।

अधिक सीटों से कोई मुकाबला नहीं था। कांग्रेस के लिए यह शर्मिंदगी और बढ़ गई

क्योंकि उसके अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी सीट अमेठी पर कब्जा करने में विफल रहे,

जो अब तक एक सुरक्षित सीट थी, जो 2004 से उनके पास थी। अपने परदादा,

प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण नेताओं का कांग्रेस से मोहभंग



प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के ब्राह्मण नेताओं का कांग्रेस से मोहभंग होता जा रहा है। एक-एक कर ब्राह्मण नेता कांग्रेस से किनारा करते जा रहे हैं। जिसका प्रमुख कारण यह भी है कि उन्हें तवज्जों नहीं मिल रही है। जबकि एक समय था जब मध्यप्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व हुआ करता था। लेकिन समय के साथ-साथ उनके वर्चस्व में कमी आती गई। पिछले तीस सालों से कोई ब्राह्मण चेहरा प्रदेश की सियासत में उभर नहीं सका है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाये तो कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी में ब्राह्मण नेताओं को बीजेपी में ज्यादा तवज्जों मिल रही है। प्रदेश में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण है तो सरकार में भी कई मंत्री ब्राह्मण हैं। डॉ. मोहन यादव सरकार में एक ब्राह्मण नेता राजेन्द्र शुक्ल को उप मुख्यमंत्री बनाया है। कांग्रेस में तो ब्राह्मण वर्ग से आने वाले नेता 80 के दशक के बाद हाशिए पर चले गए हैं। कांग्रेस से जुड़े ब्राह्मण चेहरों को लगता है कि बीजेपी उनके लिए सही है। जिस तरीके से बीजेपी ने सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने और कांग्रेस को सनातन विरोधी करार देने की मुहिम छेड़ रखी है। उसे ब्राह्मण वर्ग से आने वाले चेहरों की उसे जरूरत है। यानी दोनों एक दूसरे की जरूरत बने हुए हैं। सुरेश पचौरी, संजय शुक्ला, अरुणोदय चौबे, शशांक शेखर, आलोक चंसौरिया, रंजना मिश्रा, सुरेश पांडे, रश्मि मिश्रा, कैलाश मिश्रा यह वह चेहरे हैं जो हाल ही में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। कहा जाता है कि 1980 के बाद प्रदेश में ब्राह्मण नेताओं का वर्चस्व कम हुआ है। श्यामाचरण शुक्ल जब 1969 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उनके 40 मंत्रियों में से 23 ब्राह्मण थे। उसके बाद धीरे-धीरे ब्राह्मण नेताओं को किनारे किया जाता रहा है। 2000 के बाद तो छत्तीसगढ़ बनने के बाद तो प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की ओर से ब्राह्मण नेताओं का वर्चस्व न के बराबर रहा।

स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, अपनी दादी इंदिरा गांधी

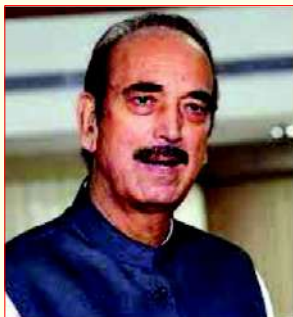
और अपने पिता राजीव गांधी के बाद चौथी पीढ़ी के पार्टी नेता राहुल गांधी काफी समय

से फिसलन भरी स्थिति में हैं। जब भाजपा की वाजपेयी सरकार के दौरान विपक्ष में

कांग्रेस छोड़ने के बाद आये नेताओं के बयान



2014 के बाद कांग्रेस पार्टी में काफी बदलाव हो गया है। उसकी विचारधारा से लेकर उसकी नीतियों तक में काफी फर्क आ गया है। पार्टी के अंदर डिजीजन मेकिंग के जो नेता हैं वह पार्टी को गर्त में पहुंचाने के जिम्मेदार हैं। यही कारण है कि आज कांग्रेस से दर्जनों की संख्या में वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया है। यह वह नेता थे जिनसे पार्टी की पहचान थी। इन्हीं कुछ नेताओं से संपादक विजया पाठक ने बात की है, जिनके बयान प्रकाशित किये जा रहे हैं :-



गुलाम नबी आज़ाद

कांग्रेस में स्थिति कोई वापसी नहीं के बिंदु पर पहुंच गई है। पूरी संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया एक दिखावा और दिखावा है। देश में कहीं भी संगठन के किसी भी स्तर पर चुनाव नहीं हुआ है। राजनीति में राहुल गांधी के प्रवेश के बाद

खासकर जब उन्हें 2013 में पार्टी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, पूरे परामर्श तंत्र जो पहले मौजूद था, उन्होंने ध्वस्त कर दिया था। मेरा राजनीतिक करियर कांग्रेस के साथ शुरू हुआ। मैं वहीं से लोकसभा सदस्य था। मैं पहली बार महाराष्ट्र से ही राज्यसभा भी गया। भारत में केवल एक ही राज्य यानी महाराष्ट्र है, जहां कांग्रेस को पुनर्जीवित किया जा सकता है। उप्र और बंगाल जैसे बड़े राज्यों में कांग्रेस खत्म हो गई है। मैं न तो कांग्रेस के करीब हूं और न ही भाजपा के। अगर भाजपा कुछ भी गलत कर रही है तो मैं उनकी आलोचना करने वाला

बैठने के बाद 2004 में कांग्रेस और उसके गठबंधन सहयोगी अप्रत्याशित रूप से

सरकार में लौटे तो पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की मां, सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद का

दावा करने में संकोच किया। इसके बजाय उन्होंने मनमोहन सिंह को इसकी पेशकश

पहला व्यक्ति हूँ। इसी तरह कांग्रेस कुछ भी सही कर रही है तो मैं उनकी तारीफ करता हूँ। लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 सीट का आंकड़ा पार करती है तो इसके जिम्मेदार I.N.D.I.A के वो नेता होंगे जो गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं।



अशोक चव्हाण

मैंने बेहतर अवसरों के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने का फैसला किया है और इसके पीछे कोई अन्य कारण नहीं है। देश का मूड भाजपा के पक्ष में है और इसलिए उसके साथ जाने का फैसला किया।



आचार्य प्रमोद कृष्णम

राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता। कांग्रेस पार्टी में कुछ बड़े नेता ऐसे हैं जिन्हें हिंदू शब्द से ही नफरत है। जिन्हें राम मंदिर से ही नहीं बल्कि भगवान राम से भी नफरत है। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने में मुझे 4-5 दिन लगे। राहुल गांधी व्यस्त रहते हैं। वे

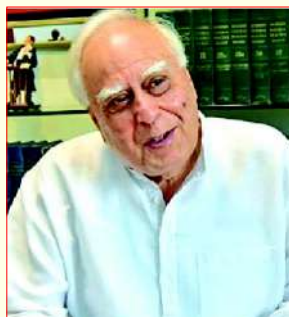
थोड़ा कम मिलते हैं, उनका ज्यादा मिलने का स्वभाव भी नहीं है। राहुल गांधी के पास जब समय होगा तभी मिलेंगे। शायद उन्हें लगता होगा कि इनसे मिलना समय की बर्बादी है। क्या कांग्रेस में रहने का मतलब है कि हमें चमचागिरी करना और झूठ बोलना जरूरी है। सवाल ये है कि जो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद और इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, आज उस कांग्रेस को किस रास्ते पर लाकर खड़ा किया गया है। मैंने राजीव गांधी से वादा किया था कि आखिरी सांस तक कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। हमने इस वादे को निभाया। बहुत से मोड़ आए। बहुत से बातें आईं, पार्टी के ऐसे फैसले थे जिनसे सहमत नहीं था। मुझे अपमानित किया गया। अपमान के घूंट पीए। लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी।



अर्जुन मोदवाडिया

पिछले 7-8 साल में कांग्रेस में काफी बदलाव आया है। कांग्रेस संवैधानिक विपक्ष में बैठने लायक नहीं है। मैं ही नहीं कई नेता हैं जिनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। हमने कांग्रेस में बदलाव लाने की कोशिश की लेकिन कोई सुनने को ही तैयार

नहीं है। कांग्रेस से मोहभंग होने का सबसे बड़ा कारण अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण अस्वीकारना भी है। यह जनभावनाओं से जुड़ा मामला था। जनभावनाओं का सम्मान करना चाहिए। लेकिन राजनीतिक समझ नहीं है। पार्टी हाईकमान के खराब रवैये के कारण कांग्रेस नेताओं की नाराजगी बढ़ रही है। कुछ नेताओं को छोड़कर बाकी सभी का अपमान किया जाता है।



कपिल सिब्बल

जब तक मैं पार्टी का हिस्सा था तब तक मैं वहां के लिए बोल सकता था। अब मेरा उस पार्टी से नाता नहीं है। इसलिए मेरा बोलना ठीक नहीं है।



हिमंत बिस्वा शर्मा

कांग्रेस में रहते हुए अपने जीवन के 22 साल बर्बाद किए हैं। ये कोई विचारधारा के बदलने जैसा नहीं था। कांग्रेस में रहते हुए आप हमेशा एक परिवार की पूजा कर रहे होते हैं, जबकि बीजेपी में रहते हुए आप देश की पूजा करते हैं।

की, जो उस समय लोकसभा के सदस्य भी नहीं थे। यह कांग्रेस पार्टी में उत्तराधिकार

योजना और दूरदर्शी सोच की कमी को दर्शाता है। सोनिया गांधी पार्टी अध्यक्ष बनी

रहीं और अंततः 2017 में अपने बेटे राहुल को यह भूमिका सौंपने से पहले उन्होंने



हार्दिक पटेल

मैंने पहले भी कहा था की कांग्रेस पार्टी जनता की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम करती है, हमेशा हिंदू धर्म की आस्था को नुकसान पहुँचाने का प्रयास करती हैं। मैं कांग्रेस और उसके नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि भगवान श्रीराम से आपकी क्या दुश्मनी है? हिंदुओं

से इतनी नफरत क्यों? सदियों बाद अयोध्या में भगवान श्रीराम का मंदिर भी बन रहा है, फिर भी कांग्रेस के नेता भगवान राम के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं।



जितिन प्रसाद

भाजपा एकमात्र वास्तविक राजनीतिक पार्टी है और यह एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है। मुझे महसूस हुआ है कि अपनी पूर्व पार्टी में केवल राजनीति से घिरे हुए थे और लोगों के लाभ के लिए योगदान देने और अपना काम करने में असमर्थ थे।



आरपीएन सिंह

राजनैतिक जीवन में नया अध्याय आरंभ कर रहे हैं। मैं पिछले 32 साल से एक ही पार्टी में हूँ, लेकिन आज मुझे कहना होगा कि पार्टी अब वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी, न ही उसकी सोच रही है। आज, हर कोई जानता है कि अगर कोई एक पार्टी है जो लोगों

के लाभ के लिए काम कर रही है और राष्ट्र के निर्माण पर काम कर रही है, तो वह भाजपा है। यह मेरे लिए एक नई शुरुआत है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान के लिए तत्पर हूँ।



शंकर सिंह बाघेला

मेरा नाम शंकर है और जहर मेरी नियति है। मैं जहर का घूंट पी रहा हूँ। मैं अपने आप कांग्रेस को मेरी ओर से मुक्त करता हूँ। अपने गले में कोई झंडा नहीं लगाना। मैं कोई दल में शामिल नहीं होऊंगा।



नारायण राणे

मैंने 12 साल पहले जब शिव सेना छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था, तब सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल ने मुझे मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था। यहां तक कि मैडम (सोनिया गांधी) ने भी मुझसे दो बार कहा था कि मुझे सीएम बनाया जाएगा, लेकिन वे दोनों इससे

मुकर गए। कांग्रेस उनका उपयोग करना नहीं जानती है। कांग्रेस के कर्ता-धर्ता पार्टी को आगे ले जाने के इच्छुक नहीं हैं। वह एक पार्टी के तौर पर विकसित होने के लिए तैयार नहीं हैं। कांग्रेस मुझे क्या निकालेगी, मैं खुद पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। अब कांग्रेस को मेरा महत्व पता चलेगा। मैं कांग्रेस और शिवसेना का सफाया कर दूंगा।



जीके वासन

सोनिया गांधी और राहुल गांधी आम लोगों की पहुंच से दूर हो गये हैं। पार्टी में राज्य के नेताओं को तबज्जो नहीं दिया जाता। तमिलनाडु में कांग्रेस 47 साल से सत्ता से दूर है। जनाधार बढ़ाने के लिए जो कुछ कर रहे थे, उन्हें रोका गया। इसी वजह से मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ।

सरकारी एजेंडे और नीतिगत प्राथमिकताओं को नियंत्रित किया, और इस प्रक्रिया में

कांग्रेस पार्टी की वंशवादी राजनीति की कमी के बारे में नरेंद्र मोदी और उनकी

भाजपा के तीखे हमलों को आकर्षित किया।



कांग्रेस पार्टी आज विलुप्त होने की कगार पर है। राजनीतिक टिप्पणीकार और कार्यकर्ता योगेन्द्र यादव ने घोषणा की है कि कांग्रेस को मरना होगा। प्रतिष्ठित इतिहास वाली पार्टी के लिए यह एक उल्लेखनीय गिरावट है। नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत बनी रही, हालाँकि उसे भयंकर आंतरिक विभाजन से जूझना पड़ा। उस समय राजनीतिक विपक्ष कमजोर और विभाजित था, जिससे इंदिरा और उनकी पार्टी को आम चुनावों में बढ़त हासिल थी। जब इंदिरा गांधी ने अपनी राजनीतिक स्थिति को कमजोर और

**कांग्रेस के पतन का असली
जिम्मेदार कौन : गांधी परिवार
या अन्य कोई**

**कांग्रेस पार्टी के भीतर
चल रहा उत्तर भारत
बनाम दक्षिण भारत**

अस्थिर होते देखा तो 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करके एक सत्तावादी रास्ता चुना। उसने संवैधानिक शक्तियों पर कब्जा कर लिया और कठोर कानूनों द्वारा शासन किया, लोकतांत्रिक अधिकारों को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया।

यह निश्चित रूप से भारत की लोकतांत्रिक परंपरा में एक काला धब्बा था और एक तानाशाही और एक नेता केंद्रित राजनीतिक शासन की शुरुआत थी। उनके एक लेफ्टिनेंट ने तो एक नारा भी गढ़ा था, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया।

प्रियंका गांधी को कर दिया है साईड लाईन

प्रियंका गांधी वाड़ा वैसे तो अपने भाई राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ लंबे समय से राजनीतिक मंचों पर मौजूदगी दर्ज कराती रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले 23 जनवरी 2019 को प्रियंका वाड़ा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पद से सक्रिय राजनीति की शुरुआत की। 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी में बगावत शुरू हो चुकी थी। पार्टी को उम्मीद थी कि प्रियंका गांधी की एंट्री से 2019 के लोकसभा चुनाव और संगठन दोनों को मजबूती मिलेगी। कांग्रेस की चुनावी हार का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। 2014 से 2018 तक, चार वर्षों में पार्टी के 10 बड़े नेताओं ने शीर्ष नेतृत्व से नाराज होकर इस्तीफा दिया था। दरअसल अब प्रियंका गांधी को ही कोटरी के नेताओं ने साईड लाईन कर दिया है। जबकि उनकी सक्रियता से कांग्रेस को फायदा ही मिलता।



फिर भी उन्होंने भारतीय मतदाताओं की राजनीतिक नब्ज को समझने में गलती की और 1977 में आम चुनाव का आह्वान किया, जिसमें उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा, जिससे आजादी के बाद राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार गैर-कांग्रेसी सरकार बनी। हालाँकि, केंद्र में कांग्रेस पार्टी की जगह लेने वाली गठबंधन सरकार कई राजनीतिक रंगों का एक अलग समूह थी और एक साथ काम नहीं कर सकी। उनकी आंतरिक कलह के कारण 1980 में गैर-कांग्रेसी सरकार का अंत हुआ और इंदिरा गांधी और कांग्रेस की वापसी हुई। 1984 में उनकी मृत्यु के बाद, उनके बेटे राजीव ने कम से कम शुरुआत में अनिच्छा से यह पद

मुख्यमंत्री-मंत्री से विधायक-सांसद तक, बीते दस साल में 400 नेताओं ने छोड़ा कांग्रेस का हाथ?

पिछले आठ वर्षों में 400 से ज्यादा नेता कांग्रेस का हाथ छोड़ चुके हैं। इनमें 33 बड़े नेताओं का नाम शामिल है। अब भी पार्टी में असंतुष्ट नेताओं की बड़ी संख्या है। अब सवाल उठ रहा कि एक परिवार की खातिर, पार्टी कब तक अपने नेताओं को कुर्बान करती रहेगी।

संभाला, लेकिन 1989 के चुनाव में कांग्रेस का वर्चस्व खोने के बाद भी वह अपने पद पर बने रहे। इससे 1991 में राजीव की हत्या तक मुख्य सहयोगी के रूप में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन बनाने का दौर चला। 1991 के बाद गांधी-नेहरू परिवार के किसी भी सदस्य ने प्रधानमंत्री पद नहीं संभाला लेकिन पार्टी अध्यक्ष पद के माध्यम से इस परिवार का प्रभुत्व पार्टी के भीतर जारी रहा। कांग्रेस के लिए वर्तमान राजनीतिक दृष्टिकोण भयावह दिखता है। कांग्रेस अपने इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है और उसके समर्थकों और विरोधियों की नजरें इस बात पर लगी होंगी कि वह एक व्यवहार्य विपक्ष के माध्यम

अयोध्या में श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराने से आहत हुये कई कांग्रेसी

कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के निमंत्रण को यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि बीजेपी ने इसे एक राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया है। पार्टी हाईकमान के इस फैसले से भी कांग्रेस के कई दिग्गज नेता आहत होते दिखाई दिये। कांग्रेस के कई नेता इसी कदम के बाद कांग्रेस छोड़कर चले गये हैं। निश्चित ही इस फैसले से पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में नुकसान होगा। पार्टी के भीतर ऐसे कई लोग हैं जो मानते हैं कि राम मंदिर कार्यक्रम से दूर रहने से आम चुनाव में उनकी संभावनाओं को नुकसान होगा। इस समारोह में हिस्सा नहीं लेने से कांग्रेस को नुकसान ही नुकसान है। फायदा कुछ नहीं है। जिस कार्यक्रम से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हो, उसमें शामिल नहीं होने का निर्णय नुकसान ही पहुंचाएगा। कांग्रेस का यह कदम जन भावना, धर्म और आस्था के विपरीत है। उन्होंने सवाल उठाया कि 22 जनवरी को शीर्ष नेतृत्व का वहां नहीं जाना समझ आता है। लेकिन उसके बाद किसी दिन तो दर्शन किया जा सकता था। नवंबर 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला हिंदू पक्ष में सुनाया था। तब कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत किया था। ऐसे में क्या कांग्रेस ने अब राम मंदिर के मुद्दे पर भाजपा को वोटबैंक बढ़ाने की थोड़ी और आजादी दे दी है? भाजपा ने अब इसे मुद्दा बना लिया है और वो लोगों में इसे कांग्रेस के दंभ के तौर पर प्रचारित करने में सफल हो गई। इससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा इस मुद्दे को बड़े लेवल पर कांग्रेस के विरोध में भुनाएगी। जिसकी



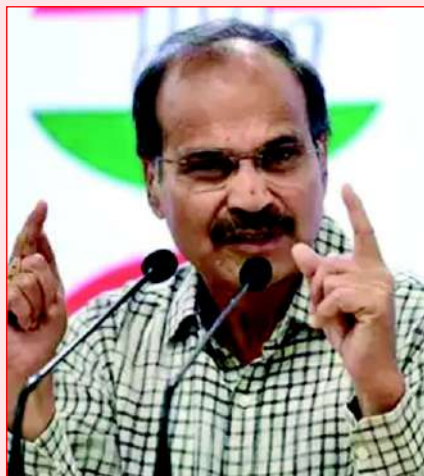
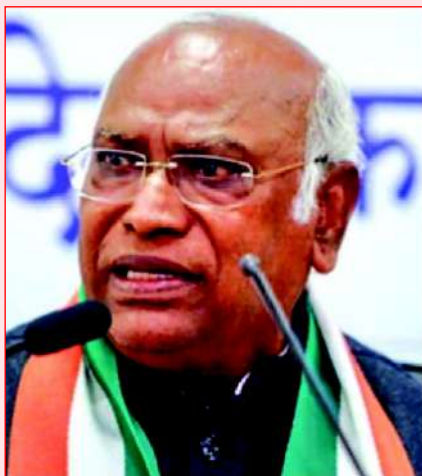
से भारतीय लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए क्या कर सकती है और क्या नहीं। यदि यह विफल रहता है तो 2024 में अगले आम चुनाव में भारत का राजनीतिक परिदृश्य काफी अलग दिखेगा।

कांग्रेस की दुर्गति का जिम्मेदार कौन है?

आखिर देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस की दुर्गति का जिम्मेदार कौन

कांग्रेस के मुसीबत भरे दस वर्ष

वर्ष 2014 लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के ही सबसे ज्यादा नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। वर्ष 2014 से सितंबर 2021 तक कांग्रेस के 222 ऐसे नेताओं ने पार्टी को अलविदा कहा, जो चुनावी उम्मीदवार थे। इस दौरान कांग्रेस के 177 सांसद और विधायकों ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इन दस वर्षों में कांग्रेस के 399 नेताओं ने पार्टी छोड़ी। इस रिपोर्ट के बाद भी 16 बड़े नेता, अपने समर्थकों संग कांग्रेस का हाथ झटक चुके हैं। मतलब आठ वर्षों में ये संख्या तकरीबन 450 पहुंच चुकी है।



शुरुआत भी हो चुकी है। भाजपा ने INDIA गठबंधन के शीर्ष नेताओं की तस्वीरों वाली एक पोस्टर जारी करके उन्हें सनातन विरोधी बताया है। इस पोस्टर में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और अधीर रंजन की भी तस्वीर लगी है।

1986 में जब बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। फिर तीन साल बाद उन्होंने ही विश्व हिंदु परिषद को विवादित स्थल पर शिलान्यास करने की अनुमति दी। 1991 में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र में मंदिर का उल्लेख किया गया। कहा गया कि पार्टी बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किए बिना मंदिर के निर्माण के पक्ष में है। इनकार इस बात से भी नहीं किया जा सकता कि भाजपा हिंदुत्व की राजनीति करने में सफल रही है। सियासी जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी कई बार हिंदू मंदिरों में दर्शन करते देखे जाते हैं। यदि कांग्रेस को राहुल गांधी को 'जनेउधारी ब्राह्मण' बताने की जरूरत पड़ती है, तो इसका बड़ा कारण यही है कि वह स्वयं यह मानती है कि उसके ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया जा रहा है और इसे खारिज करने के लिए ही उसे इस तरह के उपक्रम करने की जरूरत पड़ती है। सियासी जानकारों का मानना है कि कांग्रेस नेताओं को यह नहीं मानना चाहिए कि केवल राहुल गांधी या सोनिया गांधी के राम मंदिर कार्यक्रम में जाने से मुसलमान मतदाता नाराज हो जाएगा। कांग्रेस इस मामले में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से भी सीख ले सकती है कि किस तरह वह हनुमान आरती का आयोजन भी करती है और मुसलमानों को भी साथ रख लेती है।

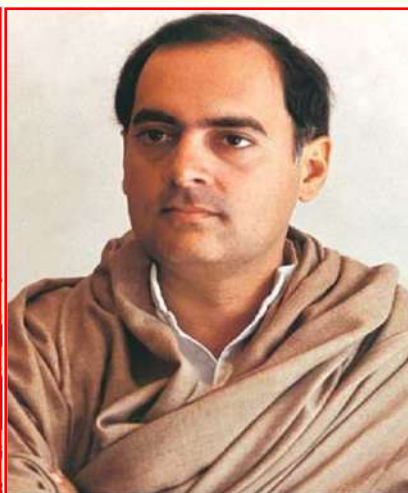
है? कई जानकारों के अलावा अब पार्टी के भीतर भी इसके लिए गांधी परिवार को जिम्मेदार माना जा रहा है। यह निष्कर्ष सच तो है, किंतु यही पूरी सच्चाई नहीं। क्या इस संदर्भ में केवल गांधी परिवार को ही दोषारोपित करना उचित होगा? राहुल गांधी परोक्ष रूप से पार्टी के निर्णायक फैसले ले रहे हैं। तमाम कोशिश के बावजूद प्रियंका

गांधी वाड़ा उत्तरप्रदेश में कांग्रेस की स्थिति में कोई सुधार नहीं कर पायीं। परिवारवाद कांग्रेस की समस्याओं की जड़ है तो उसके बीज भी पार्टी ने ही बोए थे। इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के दौर में हो गई थी। परिणामस्वरूप विगत साढ़े सात दशकों में एकाध अपवाद को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर गांधी परिवार ही

काबिज रहा है। इसमें पिछले ढाई दशकों के दौरान पार्टी की राजनीतिक जमीन खिसकती ही गई। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या नेतृत्व परिवर्तन से ही पार्टी का कायाकल्प संभव है? हाल के वर्षों का राजनीतिक रुझान दर्शाता है कि जहां भी कांग्रेस तीसरे स्थान पर पहुंची, वहां वह दोबारा नहीं उभर पाई।



आयोध्या में रामलला के पट खुलवाने में स्व. श्री जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की भूमिका महत्वपूर्ण थी



यह बात 1989 की है जब अयोध्या में भगवान श्रीराम लला के पट खोले गये थे। पट खुलवाने में स्व. श्री जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उस समय देश में स्व. राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। स्वरूपानंद जी ने उस समय सुरेश पचौरी के हाथ में एक चिट्ठी राजीव गांधी को देने के लिए भेजी थी। इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद आयोध्या में भगवान श्रीराम के पट खोले गए थे। इसके बाद राजीव गांधी ने स्वरूपानंद जी का पत्र लाने के लिए सुरेश पचौरी को धन्यवाद पत्र प्रेषित किया था। कहा भी गया है कि आयोध्या में भगवान राम के पट खुलवाने में राजीव गांधी ने काफी रूचि दिखाई थी। आज वही कांग्रेस पार्टी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आमंत्रण स्वीकर नहीं किया जिससे पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता आहत हुये हैं और पार्टी छोड़ने को मजबूर हुये।

यह सच है कि अपने आरंभिक काल में कांग्रेस में विविध विचारधारा वालों के लिए स्थान था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महामना मदनमोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और गांधीजी, ये सभी भारत

की सनातन संस्कृति से प्रेरणा पाते थे। गांधीजी की हत्या के बाद जब कांग्रेस पर नेहरूका एकाधिकार हुआ, तो पार्टी के मूल सनातनी और बहुलतावादी चरित्र को धीरे-धीरे हाशिये पर धकेल दिया गया। इसमें

रही-सही कसर इंदिरा गांधी ने पूरी कर दी। 1969 में जब कांग्रेस दो फाड़ हुई और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आई, तब संसद में उन्हें अपनी सरकार बचाने हेतु 41 सांसदों की



पहली बार बुद्धिजीवी कांग्रेसियों ने पार्टी को लेकर जताई थी चिंता, सोनिया गांधी को लिखा था पत्र

साल 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी का पतन लगातार जारी है और इसके बाद से पार्टी अपनी वापसी नहीं कर पाई है। जिन 23 वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है, उनमें पाँच पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कई सदस्य, मौजूदा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शामिल थे। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने अपने पत्र में भाजपा के उदय की बात स्वीकार की है और इस बात को माना है कि देश के युवाओं ने निर्णायक रूप से नरेंद्र मोदी को अपना वोट दिया है। पत्र में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि लोगों का भरोसा पार्टी में घटा है और युवाओं का भी पार्टी के प्रति भरोसा कम हुआ है जो गंभीर चिंता का विषय है। पत्र में पार्टी के भीतर बड़े स्तर पर सुधार करने की वकालत की गई थी। इस पत्र पर गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, शशि थरूर और विवेक तनखा के हस्ताक्षर थे। इनके अलावा मुकुल वासनिक, जितिन प्रसाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजेंद्र कौर भट्टल, एम वीरप्पा मोईली, पृथ्वीराज चव्हाण, पीजे कूरियन, अजय सिंह, रेणुका चौधरी, मिलिंद देवड़ा, राज बब्बर, अरविंदर सिंह लवली, कौल सिंह ठाकुर, अखिलेश प्रसाद सिंह, कुलदीप शर्मा, योगानंद शास्त्री, संदीप दीक्षित ने भी इस पत्र पर हस्ताक्षर किये थे।

आवश्यकता थी। इस कमी को वामपंथियों ने बाहरी समर्थन देकर पूरा किया। इंदिरा ने उन कम्युनिस्टों के सहारे अपनी सरकार बचाई, जिनका अपने उद्भव काल से एकमात्र एजेंडा भारत की सनातन संस्कृति, परंपरा और जीवनशैली पर प्रहार करना रहा। अपने इसी दर्शन के कारण वामपंथियों ने 1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' में अंग्रेजों के लिए मुखबिरी की। गांधीजी, नेताजी आदि देशभक्तों को अपशब्द कहे।

2014 में ऐसे हुई पार्टी छोड़ने की शुरुआत

राजनीति दलों में नेताओं का आना-जाना वैसे तो आम बात है। लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में वर्ष 2014 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस में असंतुष्ट नेताओं की संख्या और पार्टी छोड़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो अब तक जारी है। वर्ष 2014 का लोकसभा चुनाव 07 अप्रैल से 12 मई के बीच हुआ था। इसके बाद 21

जुलाई 2014 को हिमंता बिस्व सरमा, कांग्रेस छोड़ने वाले पार्टी के पहले बड़े नेता थे। पहले सबसे बड़ा झटका टॉम वडक्कन और दूसरा बड़ा झटका ज्योतिरादित्य सिंधिया के तौर पर लगा था। वर्ष 2022 कांग्रेस के लिए सबसे बुरा साल साबित हो रहा है। 2022 में 12 बड़े नेता असंतोष की वजह से कांग्रेस छोड़ चुके हैं। इसमें फेहरिस्त में सबसे बड़ा नाम गुलाम नबी आजाद का था।

विष्णुदेव साय: सेवा, समर्पण और सुशासन के 90 दिन



विजया पाठक

90 दिनों में विष्णु के सुशासन की झलक प्रदेशवासियों को देखने को मिली रही है। जिस मिशन के लिए प्रदेश में बीजेपी ने सरकार बनाई है उसमें वह सफल होती दिख रही है। खासकर चुनाव के दौरान जो वादे या गारंटी बीजेपी ने दी थी उन पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन के तीन माह की अवधि

राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए तेजी से कार्य करते हुए मोदी जी की गारंटियों को पूरा कर रही है। हर एक वर्ग के लिए सरकार काम कर रही है। पिछले पांच साल में प्रदेश की जनता ने भूपेश बघेल सरकार के दौरान जो तकलीफें झेली थी उनसे भी प्रदेशवासियों को राहत मिली है।

पूर्ण हो गई है और 90 दिन में छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत बड़े कार्य प्रारंभ किए हैं। राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए तेजी से कार्य करते हुए मोदी जी की गारंटियों को पूरा कर रही है। हर एक वर्ग के लिए सरकार काम कर रही है। पिछले पांच साल में प्रदेश की जनता ने भूपेश बघेल सरकार के दौरान जो तकलीफें झेली थी उनसे भी प्रदेशवासियों

को राहत मिली है। भूपेश बघेल के कुशासन ने लोगों का जीना हराम कर दिया था। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार बनते ही वादा निभाते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी गई। विष्णु देव ने महज नब्बे दिनों में अपने अडिग निर्णय से तीन करोड़ से अधिक प्रदेशवासियों के जीवन में एक खुशनुमा खुशहाली बिखेरने में सफलता अर्जित की है। वैसे तो किसी भी सरकार के लिए तीन माह का कार्यकाल बहुत ही कम होते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के मन में कुछ नया करने की इच्छा शक्ति, जनसरोकार के लिए योजना बनाने की जुनून और ईमानदार प्रयास ने महज तीन माह, एक मिसाल बना और एक नया रिकार्ड कायम की। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ग्रामीणों के हित में निर्णय



लिए। प्रदेश के करीब 68 लाख अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों को अगले पांच वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न देने के फैसले से इन परिवारों को भरपेट

भोजन भी मिलेगा।

किसानों के हित में उठाए कदम

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर को सुशासन



दिवस के अवसर पर राज्य के किसानों को दो साल के बकाया धान बोनस के भुगतान की गारंटी को पूरा करते हुए 13 लाख किसानों को 3 हजार 716 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया। अपने वादे के अनुरूप किसानों के हित में खरीफवर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की गई, 24 लाख 72 हजार किसानों से 144.92 लाख मीट्रिक टन रिकार्ड धान खरीदी की गई और अन्नदाताओं को 31 हजार 914 करोड़ रूपए का भुगतान भी किया गया तो 12 मार्च को कृषक उन्नति योजना के तहत समर्थन मूल्य की अंतर राशि 13 हजार 320 करोड़ रूपए अन्नदाताओं के खाते में दिये गये हैं।

आदिवासियों के हकों पर कार्य

प्रदेश के लाखों आदिवासी भाई-बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए तेंदूपत्ता संग्राहकों को संग्रहण पारिश्रमिक दर 04 हजार रूपए प्रतिमानक बोरा से बढ़ाकर 5 हजार 500 रूपए किया गया साथ ही तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा हेतु नवीन योजना संचालित किए जाने का निर्णय भी लिए हैं।

महतारी वन्दन योजना

विष्णु देव सरकार ने मोदी की गारंटी पर मुहर लगाते हुए महतारी वन्दन योजना के तहत प्रदेश के 70 लाख से अधिक विवाहित महिलाओं के खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा विश्वनाथ की धरती काशी से शुभारंभ किए और प्रथम किस्त की राशि करीब 700 करोड़ रूपए इन महिलाओं के खाते में अंतरित हुई। विष्णुदेव साय सरकार ने एक अहम फैसले लेते हुए छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुमोदन किया है। साथ ही प्रदेश की आधी आबादी यानी माताओं एवं बहनों की भावनाओं को ध्यान

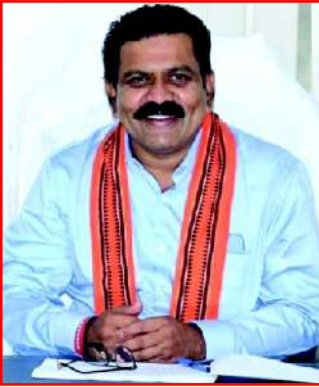


में रखते हुए निर्णय लिया है कि कोई भी नई मदिरा दुकान नहीं खोली जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) की भावनाओं का सम्मान करते हुए 430 लोकतंत्र सेनानियों-आश्रितों को सम्मान निधि देने का निर्णय लिया। तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए संग्रहण दर 4000 रूपए मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रूपए प्रति मानक बोरा कर दी गई।

**विष्णुदेव साय सरकार
कल्याणकारी काम करने
वाली सरकार है। जब
भाजपा ने मोदी की गारंटी दी
तब हमारे विरोधी टीका
टिप्पणी करते थे, विरोध
करते थे, लेकिन जब ये वादे
जमीन पर उतरने लगे हैं तो
उन सबकी बोलती बंद हो
गई है।**

तीन माह की उपलब्धियां

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा- साय सरकार ने 14 दिसंबर को हुई पहली ही कैबिनेट मीटिंग में 18 लाख आवास को स्वीकृत किया। पिछली सरकार में स्थानीय आवास की प्रक्रिया शुरू की थी। उस 47 हजार आवास को भी साय सरकार ने स्वीकृत किया। पिछली सरकार ने 2018 के चुनाव में पांच सौ रुपया प्रति महिलाओं को देने का वादा किया था, लेकिन नहीं दिया। भाजपा सरकार ने माताओं बहनों से किए वादे को पूरा किया। महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को एक हजार रूपया प्रति महीने के हिसाब से देना शुरू कर दिया है। साय सरकार ने कृषि उन्नति योजना शुरू की है। 3100 रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का वादा किया था। समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राशि 13 हजार 300 करोड़ रूपये को एकमुश्त राशि किसानों को दे दिया गया। पिछली सरकार चार किस्तों में यह राशि किसानों को दे रही थी। पूरे देश में



किसी भी सरकार ने इतना नहीं किया है जितना विष्णुदेव साय की सरकार ने किया है।

मंत्री रामविचार नेताम- विष्णुदेव साय सरकार कल्याणकारी काम करने वाली सरकार है। जब भाजपा ने मोदी की गारंटी दी तब हमारे विरोधी टीका टिप्पणी करते थे, विरोध करते थे, लेकिन जब ये वादे जमीन पर उतरने लगे हैं तो उन सबकी बोलती बंद हो गई है। तेंदूपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से भुगतान करने का हमने वादा किया था। इस वादे को भी पूरा किया। 15 सालों तक जब राज्य में भाजपा की सरकार थी तब मूल कामों को वहाँ तक पहुँचाने का काम

किया, लेकिन पिछले पांच सालों में ये काम छिन्न भिन्न हो गया।

मंत्री केदार कश्यप- विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चल रही सरकार ने मोदी की गारंटी पूरा कर राज्य को बड़ा उपहार दिया है। धान खरीदी, महतारी वंदन योजना जैसी कई गारंटी पूरी की। पिछली सरकार का पूरा कार्यकाल गेड़ी और फुगड़ी खेलने में बीत गया।

मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल- पाँच साल की कांग्रेस की पिछली सरकार पर हमारी नब्बे दिन की सरकार भारी है। जितना काम पाँच साल में भी नहीं हुआ उतना काम हमारी नब्बे दिन की सरकार ने किया है। आपसी झगड़े पर हेल्थ डिपार्टमेंट

वेंटिलेटर पर जा चुका था। हमारी सरकार ने व्यवस्था बहाल की है।

मंत्री ओपी चौधरी- रिकार्ड स्पीड से साय सरकार मोदी की गारंटी पूरी हो रही है। धान के लिये इस वर्ष 44 हजार करोड़ का भुगतान किया गया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे तेज गति मिलेगी। महतारी वंदन योजना की राशि वितरित की गई। हमारी सरकार एक विजन के साथ काम कर रही है। 2047 तक राज्य विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में पहचान बनाए, इसके लिए रोडमैप बनाने का काम किया जा रहा है।

आस्था और अवसर का अनुष्ठान!



अयोध्या में श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा और लोकसभा चुनाव

विजया पाठक

लोकसभा चुनाव 2024 के बीच अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। इसके साथ ही देश में एक ऐसे मुद्दे का भी अंत हो गया है जो कई दशकों से देश की राजनीति में केन्द्र बिंदु बना हुआ था। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन देश के सामाजिक-राजनीतिक इतिहास में एक अहम मोड़ माना जा रहा है। आम चुनाव से ठीक पहले हुए इस आयोजन के बाद इस पर अगले कुछ दिन जमकर राजनीति भी होनी ही थी, जो हो भी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की

अगुआई में बीजेपी राम मंदिर को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए लगातार तीसरी बार रेकार्ड जीत की उम्मीद में इस

राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी किसी एक मंदिर या सिर्फ भगवान राम से जोड़कर नहीं पेश कर रही है। इसे अपनी विरासत की वापसी के प्रतीक के रूप में पेश किया जा रहा है।

सियासी पिच पर उतर चुकी है तो विपक्ष के लिए यह मुद्दा उलझन भरा साबित हो रहा है। क्या राम मंदिर के माध्यम से ही बीजेपी विपक्ष को अगले आम चुनाव में पूरी तरह अलग-थलग कर देगी या विपक्ष अगले कुछ दिनों में अपने हिसाब से कोई नया अजेंडा तय कर सकता है? राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी किसी एक मंदिर या सिर्फ भगवान राम से जोड़कर नहीं पेश कर रही है। इसे अपनी विरासत की वापसी के प्रतीक के रूप में पेश किया जा रहा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने दक्षिण के उन तमाम मंदिरों का भी दौरा



किया, जहां से किसी न किसी रूप में राम का नाम जुड़ा रहा है। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह, करोड़ों हिंदुओं की इससे जुड़ी आस्था और इस महाआयोजन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर केन्द्रित फोकस के बाद राजनीतिक हलकों में यह सवाल तेजी से तैर रहा है कि दो माह बाद होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव पर इसका कितना असर होगा। क्या राम भक्ति में बहा बहुसंख्यक हिंदू समाज अपनी भाव विह्वलता को मोदी के पक्ष में वोटों में बदलेगा, बदलेगा तो कितना बदलेगा, क्या मोदी की अगुवाई और मोदी 1957 के लोकसभा में कांग्रेस की विजय का रिकार्ड तोड़ पाएंगे, जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने 371 सीटें जीती थीं और 47.8 फीसदी वोट हासिल किए थे। हालांकि कांग्रेस की

विराट जीत 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव में हुई थी, जब कांग्रेस ने 414 सीटें और 46.86 फीसदी वोट हासिल किए थे। हालांकि, मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने भी 2019 के लोकसभा

चुनाव में 303 सीटों के साथ अब तक की सर्वश्रेष्ठ जीत हासिल की थी। अब जबकि बीजेपी एनडीए गठबंधन को इस बार 400 पार और सिर्फ बीजेपी 370 सीटें जीतने पर फोकस कर रही है। अब सवाल उठ रहा है कि राम मंदिर इस वोट बैंक में कितना और

क्या मोदी की अगुवाई और मोदी 1957 के लोकसभा में कांग्रेस की विजय का रिकार्ड तोड़ पाएंगे, जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने 371 सीटें जीती थीं और 47.8 फीसदी वोट हासिल किए थे। हालांकि कांग्रेस की विराट जीत 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव में हुई थी, जब कांग्रेस ने 414 सीटें और 46.86 फीसदी वोट हासिल किए थे।



जोड़ेगा? वहीं इंडिया गठबंधन के रूप में कुछ विपक्षी पार्टियां लोकसभा चुनाव को वन ऑन वन बनाने की कोशिश में लगी हैं। हालांकि, यह गठबंधन चुनाव तक टिकेगा, इसकी संभावना कम ही लगती है। दूसरे, राम मंदिर को लेकर उठा आस्था का सैलाब कुछ दिन बाद बैठने लगेगा, जमीनी मुद्दे फिर हावी होंगे। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी जैसे मुद्दे अगले चुनाव में फिर उभरेंगे, चुनावों पर इनका असर जरूर होगा। तीसरा, एक हद तक यह मुकाबला दो यात्रियों के बीच भी है। पहले तो खुद मोदी हैं, जो देश में जगह-जगह रोड शो कर रहे हैं। दक्षिण में उनकी स्वीकृति पहले की तुलना में बढ़ी है। अब राम मंदिर इसमें कितना इजाफा करेगा, यह देखने की बात है। लेकिन इतना तय है कि राम मंदिर की जानकारी दक्षिण में भी गांव गांव तक है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की डिजाइनिंग, टाइमिंग और प्रस्तुति इस अंदाज में की गई

थी, जिसका धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक असर भी पड़े। इसमें कोई शक नहीं कि राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा से देश के बहुसंख्यक हिंदू गदगद हैं तो अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों में आशंकाएं बढ़ी हैं। राम मंदिर

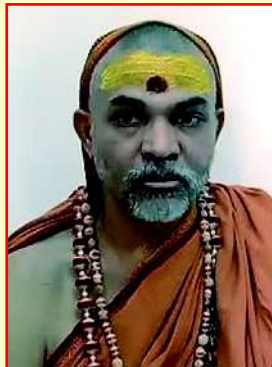
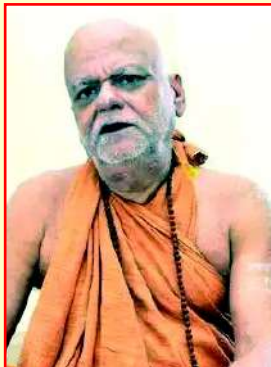
राम मंदिर बनने से मोदी की लोकप्रियता में कई गुना वृद्धि हुई है और दक्षिण में भी उनके प्रति लोगों में उत्सुकता बढ़ी है। यह वोटों में कितनी बदलेगी, यह देखने की बात है। लेकिन ऐसा लगता है कि तमिलनाडु और केरल जहां भाजपा का वजूद नहीं के बराबर है, राम मंदिर मुद्दा पार्टी को चौकाने वाली सफलता दिला सकता है।

का असर यूपी और कुछ उत्तर पश्चिमी राज्यों में हो सकता है। लेकिन दक्षिण में भी वैसी ही लहर चले, जरूरी नहीं है। हालांकि, राम मंदिर बनने से मोदी की लोकप्रियता में कई गुना वृद्धि हुई है और दक्षिण में भी उनके प्रति लोगों में उत्सुकता बढ़ी है। यह वोटों में कितनी बदलेगी, यह देखने की बात है। लेकिन ऐसा लगता है कि तमिलनाडु और केरल जहां भाजपा का वजूद नहीं के बराबर है, राम मंदिर मुद्दा पार्टी को चौकाने वाली सफलता दिला सकता है।

कैसे हुआ राममंदिर बनने का रास्ता साफ

09 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और विवादित जमीन रामलला को देने का आदेश दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सबसे बड़े फैसले में अयोध्या की विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक माना है। जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 05 एकड़

राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्य और कांग्रेस नेता क्यों नहीं पहुंचे?



अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी जैसे ही सामने आई तो ये चर्चा शुरू हुई कि कौन इस आयोजन में शामिल होगा? चर्चा इस बात की हो रही थी कि कौन इसमें शामिल होगा और कौन नहीं होगा। कांग्रेस ने बीजेपी पर राम मंदिर को राजनीतिक परियोजना बनाए जाने का आरोप लगाते हुए कार्यक्रम में जाने से इंकार किया। कांग्रेस ने बयान जारी कर कहा, 'भगवान राम की पूजा करोड़ों भारतीय करते हैं। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता है लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने सालों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। साफ है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा, साल 2019 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हुए लोगों की आस्था के सम्मान में मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी बीजेपी और आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। कांग्रेस के अलावा चार शंकराचार्यों ने भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से इंकार किया। मान्यताओं के मुताबिक, शंकराचार्य हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्म गुरु का पद है। हिंदू धर्म में शंकराचार्यों को सम्मान और आस्था की नज़र से देखा जाता रहा है। आदि शंकराचार्य को हिंदू धर्म की दार्शनिक व्याख्या के लिए भी जाना जाता रहा है। ज्योतिर्मठ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा था कि देश के चारों शंकराचार्य 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में शामिल नहीं होंगे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मुताबिक, ये आयोजन शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रहा है।

जमीन देने का आदेश दिया गया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 05 जजों की विशेष बेंच ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया है। फैसले में एसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) का हवाला देते हुए कहा गया कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी खाली जगह पर नहीं किया गया था। विवादित जमीन के नीचे एक

ढांचा था और यह इस्लामिक ढांचा नहीं था। कोर्ट ने कहा कि पुरातत्व विभाग की खोज को नजरअंदाज नहीं किया।

क्या था इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला- सुप्रीम कोर्ट से पहले इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में अपना फैसला सुनाया था। 30 सितंबर, 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2.77 एकड़ जमीन

का बंटवारा कर दिया गया था। कोर्ट ने यह जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्माही अखाड़ा और रामलला विराजमान के बीच जमीन बराबर बांटने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और विवादित जमीन रामलला

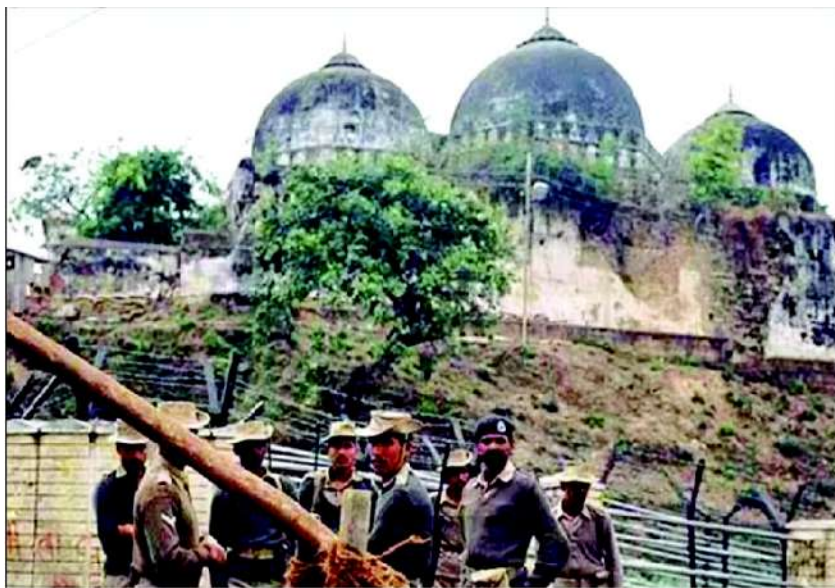
को देने का आदेश दिया। आखिरकार 134 साल पुराने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने सुलझा दिया।

1528 से 1947 के बीच की घटना

इस कहानी की शुरुआत होती है 1528 से। इस समय तक बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और देश में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। इतिहासकारों की मानें तो बाबर के कमांडर यानि सेनापति मीर बाकी ने बाबर के आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर को तुड़वा दिया। इसके बाद वहां एक मस्जिद बनाई। मस्जिद का नाम रखा बाबरी मस्जिद। 1528 में मस्जिद बनाई गई या नहीं। इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। आईने अकबरी हो या बाबरनामा दोनों में ही इसका जिक्र नहीं मिलता। तुलसीदास ने 1574 में रामचरितमानस का अवधी में अनुवाद किया। इस किताब में भी बाबरी मस्जिद का उल्लेख नहीं मिलता। कहानी आगे बढ़ती है और साल आता है 1838। इस साल पहली बार अयोध्या में सर्वे किया गया। सर्वे करने वाला अधिकारी ब्रिटिश था, जिसका नाम था मेन्टगोमेरी मार्टिन मार्टिन ने सर्वे के बाद बताया कि मस्जिद में जो पिलर मिले हैं, वो हिंदू मंदिर से लिए गए हैं। बता दें कि 1838 से पहले के तीन सौ वर्षों का कुछ खास इतिहास मौजूद नहीं है। लेकिन ब्रिटिश अधिकारी के सर्वे के बाद अयोध्या में पहली बार साल 1838 में ही बवाल होता है। हिंदू कहते हैं कि जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद है, वहां पहले भगवान राम का मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर ने तुड़वा दिया और उस पर मस्जिद का निर्माण करवाया।

इसी स्थान को रामजन्मभूमि भी कहा गया

साल 1853 आता है और पहली बार



साल 1853 आता है और पहली बार अयोध्या में दंगा होता है। इसके बाद 1857 में हनुमानगढ़ी के महंत ने मस्जिद के आंगन के पूर्वी हिस्से में एक चबूतरा बनाया। इसी चबूतरे को राम चबूतरा कहा गया। इसी स्थान को रामजन्मभूमि भी कहा गया। विवाद बढ़ा तो इसके विरोध में मौलवी मोहम्मद असगर ने जिला मिजिस्ट्रेट के सामने अर्जी लगाई। पहली बार साल 1859 में मिजिस्ट्रेट के आदेश के बाद मस्जिद में एक दीवार खड़ी कर दी जाती है।

अयोध्या में दंगा होता है। इसके बाद 1857 में हनुमानगढ़ी के महंत ने मस्जिद के आंगन के पूर्वी हिस्से में एक चबूतरा बनाया। इसी चबूतरे को राम चबूतरा कहा गया। इसी स्थान को रामजन्मभूमि भी कहा गया। विवाद बढ़ा तो इसके विरोध में मौलवी मोहम्मद असगर ने जिला मिजिस्ट्रेट के सामने अर्जी लगाई। पहली बार साल 1859 में मिजिस्ट्रेट के आदेश के बाद मस्जिद में एक दीवार खड़ी कर दी जाती है। इस तरह भीतरी हिस्से में मुसलमानों को इबादत और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को

पूजा करने की अनुमति मिली। अब साल आता है 1885। निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवार दास ने राम चबूतरे की कानून हक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी डाली। इस जगह उन्होंने मंदिर बनाने को लेकर कोर्ट से मांग की। इस याचिका में चबूतरे वाले स्थान को ही राम जन्मभूमि बताया गया था। ये अर्जी साल 1886 में खारिज कर दी जाती है। अब कहानी सीधा पहुंचती है साल 1934 में। अब सवाल ये उठता है कि 1886-1934 तक क्या हुआ। इस दौरान कई दस्तावेजों ने ये दावा किया कि अयोध्या में

ये है अयोध्या विवाद की पूरी कहानी

- 1528: अयोध्या में बाबर ने एक ऐसी जगह मस्जिद का निर्माण कराया जिसे हिंदू राम जन्मभूमि मानते हैं।
- 1853: हिंदुओं का आरोप- मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। पहला हिंदू-मुस्लिम संघर्ष हुआ।
- 1859: ब्रिटिश सरकार ने विवादित भूमि को बांटकर आंतरिक और बाहरी परिसर बनाए।
- 1885: राम के नाम पर इस साल कानूनी लड़ाई शुरू हुई। महंत रघुबर दास ने राम मंदिर निर्माण के लिए इजाजत मांगी।
- 1949: 23 दिसंबर को लगभग 50 हिंदुओं ने मस्जिद के केंद्रीय स्थल में भगवान राम की मूर्ति रखी।
- 1950: 16 जनवरी को एक अपील में मूर्ति को विवादित स्थल से हटाने से न्यायिक रोक की मांग।
- 1950: 05 दिसंबर को मस्जिद को ढांचा नाम दिया गया और राममूर्ति रखने के लिए केस किया।
- 1959: 17 दिसंबर को निर्माही अखाड़ा विवाद में कूदा, विवादित स्थल के लिए मुकदमा दायर।
- 1961: 18 दिसंबर को सुन्नी वक्फबोर्ड ने मालिकाना हक के लिए केस किया।
- 1984: विश्व हिंदू परिषद विशाल मंदिर निर्माण और मंदिर के ताले खोलने के लिए अभियान शुरू।
- 1986: 01 फरवरी फैजाबाद जिला अदालत ने विवादित स्थल में हिंदुओं को पूजा की अनुमति दे दी।
- 1989: जून में भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर आंदोलन में वीएचपी का समर्थन किया।
- 1989: 01 जुलाई को मामले में पांचवा मुकदमा दाखिल हुआ।
- 1989: नवंबर 09 को बाबरी के नजदीक शिलान्यास की परमीशन दी गई।
- 1990: 25 सितंबर को लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा की। जिसके बाद साम्प्रदायिक दंगे हुए।
- 1990: नवंबर में आडवाणी गिरफ्तार। भाजपा ने वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया।
- 1991: अक्टूबर में कल्याण सिंह सरकार ने विवादित क्षेत्र को कब्जे में ले लिया।
- 1992: 06 दिसंबर को कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। एक अस्थायी मंदिर बनाया गया।
- 1992: 16 दिसंबर को तोड़फोड़ की जांच के लिए एस.एस. लिब्राहन आयोग का गठन हुआ।
- 2002: तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेई ने विवाद सुलझाने के लिए अयोध्या विभाग शुरू किया।
- 2002: अप्रैल में विवादित स्थल पर मालिकाना हक के लिए हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई।
- 2003: मार्च से अगस्त में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद विवादित स्थल पर खुदाई हुई और मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष के प्रमाण मिले।
- 2003: सितंबर में सात हिंदू नेताओं को सुनवाई के लिए बुलाने का फैसला दिया गया।
- 2005: जुलाई में विवादित क्षेत्र पर इस्लामिक आतंकवादियों का हमला, पांच आतंकी मारे गए।
- 2009: जुलाई में पीएम मनमोहन सिंह को लिब्रहान आयोग ने रिपोर्ट सौंपी।
- 2010: 28 सितंबर को विवादित मामले में फैसला देने से रोकने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की।
- 2010: 30 सितंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया।
- 2017: 21 मार्च सुप्रीम कोर्ट ने मामले में मध्यस्थता की पेशकश की।
- 2019: 9 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण किया जाए।
- 22 जनवरी 2024: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नवनिर्मित मंदिर में भगवान श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा।

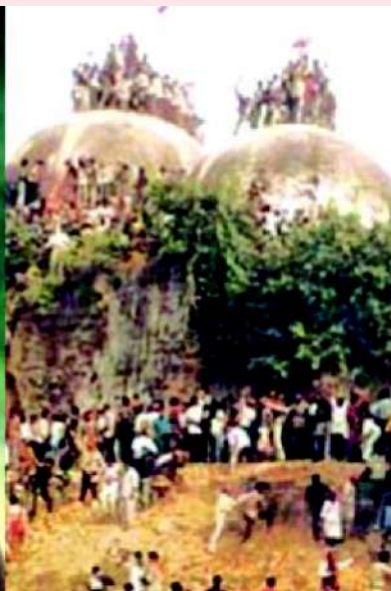
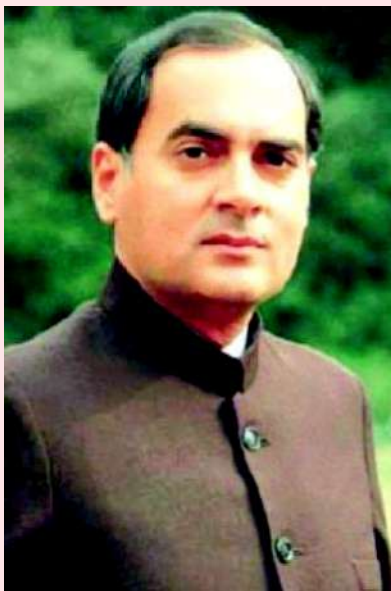
कई मंदिरों को तोड़ा गया और उसपर मस्जिदों का निर्माण हुआ, उनमें से एक

राम मंदिर भी था। साल 1934 में अयोध्या में सांप्रदायिक दंगे हुए। लोगों ने बाबरी

मस्जिद के कुछ हिस्से को ढहा दिया। मस्जिद के टूटे हुए हिस्से को अंग्रेजों ने ठीक

राजीव गांधी ने प्रयास से हुआ था राम मंदिर के ताले खोलने का आदेश

राजीव गांधी ये जानते थे कि उन्हें इस फैसले को बैलेंस करना होगा। इसके बाद राजीव गांधी ने उस समय के यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह पर दबाव डाला कि बाबरी मस्जिद के ताले को खोल दिया जाए। इसके कुछ ही दिन बाद 1986 में फैजाबाद की अदालत ने बाबरी मस्जिद के ताले को खोलने का आदेश दिया और मंदिर में पूजा करने की भी इजाजत दे दी। लेकिन सवाल ये भी है क्या इससे पहले पूजा नहीं होती थी। पूजा जरूर होती थी, लेकिन कोर्ट द्वारा नियुक्त एक पुजारी द्वारा साल में केवल एक बार। ताला खुलने के बाद कोई भी अयोध्या जा सकता था, पूजा कर सकता था। लेकिन नमाज अब भी शुरू नहीं हो सकी थी। ताला खुलने के बाद मुस्लिम पक्ष ने



बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई। ताला खुलने के बाद अब देशभर में रामशिलाओं की पूजा और उन्हें अयोध्या ले जाने की बारी थी। फिर राजीव पर भूमिपूजन के लिए दबाव बनने लगा। वो कंप्यूजन में थे। लेकिन एक बार फिर उन्होंने अपने हिंदू वोटबैंक को बचाने का फैसला लिया। ऐसा कहा जाता है कि राजीव इस समस्या के हल के लिए देवराहा बाबा के पास पहुंचे। देवराहा बाबा ने उनसे कहा कि मंदिर बनना चाहिए, शिलान्यास हो जाने दो बच्चा। शिलान्यास का वक्त 9 नवंबर 1989 तय किया गया। इससे पहले देशभर में रामशिलाओं की पूजा हुई। सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ा, कई जगहों पर दंगे हुए, सैकड़ों लोग मारे गए।

कराया। साल 1944 में वक्फबोर्ड की तरफ मस्जिद को सुन्नी प्रॉपर्टी घोषित कर दी जाती है। सुन्नी प्रॉपर्टी इसलिए क्योंकि बाबर सुन्नी मुसलमान था।

1947 से 1980 के बीच की घटना

साल 1947 में देश आजाद हुआ। बंटवारे का जख्म ताजा था। हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत इस समय पक्के

तौर पर थी। आजादी के बाद राम मंदिर की मांग जोर पकड़ती है। दिसंबर 1949 में अयोध्या में 9 दिनों के रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ भी शामिल थे। 22 और 23 दिसंबर की रात मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां

मिलती हैं। आरोप हिंदुओं पर लगता है। कहा गया कि उन्होंने मूर्तियों को विवादित स्थान पर रखा। 23 दिसंबर की सुबह मस्जिद में रामलला की पूजा शुरू हो जाती है। हिंदू वहां पूजा और दर्शन करने पहुंचते हैं तो मुस्लिम वहां विरोध करने पहुंचते हैं। मामला फिर कोर्ट में पहुंचता है। ये वो



मई 1991 में चुनाव प्रचार करने गए राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। देश में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति थी। कांग्रेस केंद्र में अधिकार जमाती है। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं। इसी साल जून में यूपी में चुनाव हुए। भाजपा सरकार बनाती है। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। सरकार बनते ही विवादित स्थल के पास की भूमि एक ट्रस्ट को दे दी जाती है।
ट्रस्ट का नाम था जन्मभूमि न्यास।

समय था जब देश में संविधान लागू नहीं हुआ था। संविधान की धर्मनिरपेक्षता अबतक तय नहीं की जा सकी थी। इस दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बयान दिया और कहा कि जो हुआ वह गलत हुआ किसी भी धार्मिक स्थान को कोई हथिया नहीं सकता।

1980 से 1990 के बीच की घटना

अब साल आ गया 1980 का। भाजपा जनसंघ से अलग हो गई थी। भाजपा ने खुलकर हिंदू संगठनों और राममंदिर का

रथयात्रा से बना देश में राममंदिर के प्रति माहौल

समर्थन किया। हिंदू संगठन एक्टिव हो जाते हैं। मांग उठती है कि बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का निर्माण किया जाए। साल 1984 में धर्म संसद का दिल्ली में आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) नेता अशोक सिंघल ने रथयात्रा निकालने की बात कही, लेकिन इसके 6 महीने बाद ही इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। रथयात्रा को टाल दिया गया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी कमान संभालते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं। राजीव

के लिए दो अहम चुनौतियां थीं। पहली की राममंदिर के मुद्दे पर क्या रुख होना चाहिए और दूसरा कि हिंदू संगठनों की लामबंदी पर कंट्रोल कैसे किया जाए। हालांकि इस समय देश में एक घटना घटती है, जिसने मंदिर आंदोलन की आग में घी का काम किया। दरअसल इंदौर की रहने वाली शाह बानों के केस में राजीव गांधी ने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया।

1991 के बाद तेज हुआ राम मंदिर निर्माण का दौर

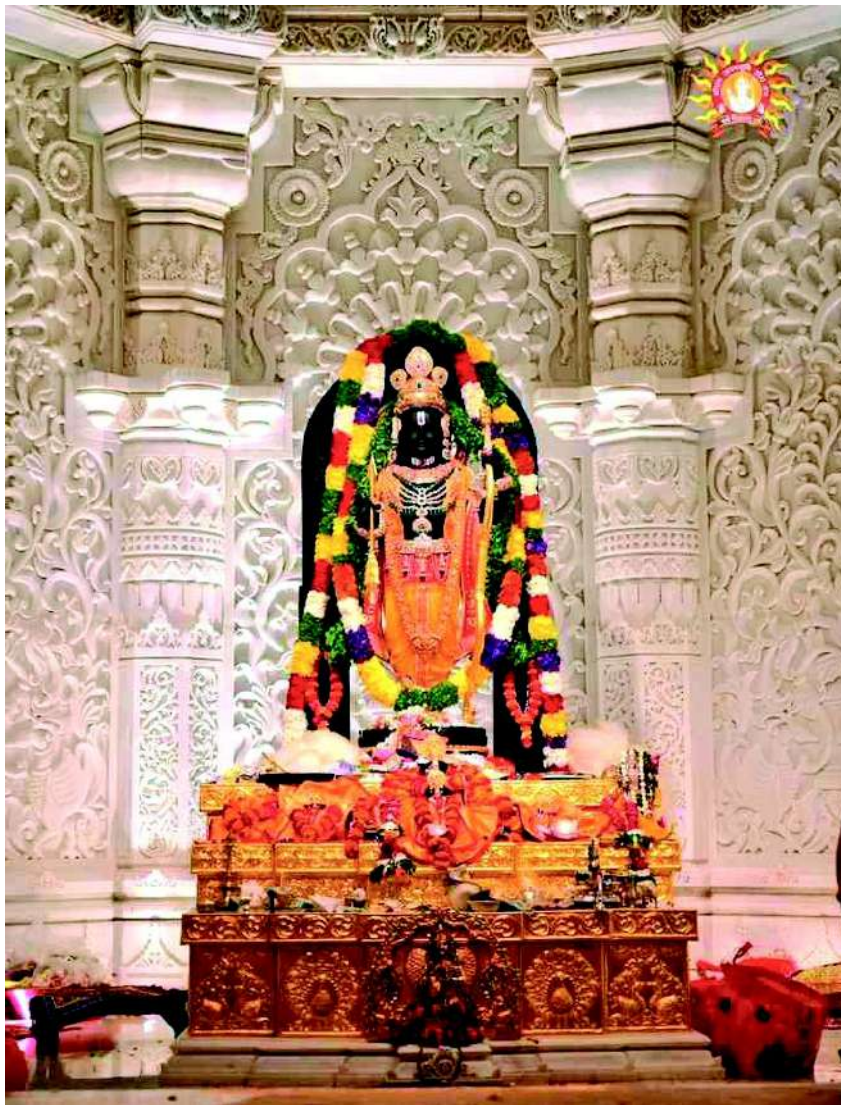
एक बार फिर चुनावी दौर शुरू होता है। मई 1991 में चुनाव प्रचार करने गए राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। देश में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति थी। कांग्रेस केंद्र में अधिकार जमाती है। पीवी नरसिम्हा

06 दिसंबर 1992 को अयोध्या में लगभग 02 लाख कारसेवक पहुंच चुके थे। ये कारसेवक मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं। भीड़ ने मस्जिद को गिरा दिया। पहला गुंबद दो बजे तक, दूसरा गुंबद साढ़े तीन बजे तक और तीसरा गुंबद 5 बजे तक गिरा दिया जाता है। वहां रामलला के लिए एक छोटे मंदिर को तैयार किया जाता है। राम लाल उसमें विराजमान होते हैं।

राव प्रधानमंत्री बनते हैं। इसी साल जून में यूपी में चुनाव हुए। भाजपा सरकार बनाती है। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। सरकार बनते ही विवादित स्थल के पास

की भूमि एक ट्रस्ट को दे दी जाती है। ट्रस्ट का नाम था जन्मभूमि न्यास। इस जमीन पर पहले कई मंदिर और आश्रम थे। उनके महंतों ने सहमति से न्यास को अपनी भूमि दान की और कहा कि राम मंदिर का निर्माण हो सके, इसलिए यह दान दिया जा रहा है। न्यास इस भूमि पर निर्माण कार्य शुरू कर देती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसमें दखल दिया और निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। पीवी नरसिम्हा राव 30 अक्टूबर 1992 को दोनों पक्षों यानि हिंदू और मुस्लिम पक्षों को दिल्ली बुलाते हैं। बातचीत करने के लिए दिल्ली पहुंचे दोनों गुटों के बीच बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। इसी दिन वीएचपी के नेता प्रधानमंत्री आवास से निकलकर एक स्थान पर प्राइवेट मीटिंग करते हैं। ऐलान करते हैं कि 06 दिसंबर





कारसेवकों से संयम बरतने की अपील करते हैं। इन नेताओं पर अब भी केस चल रहा है, जो कोर्ट में लंबित है। 6 दिसंबर की शाम 6 बजे तक यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। कल्याण सिंह का इस्तीफा पहले से तैयार था, वो इस्तीफा दे देते हैं। 7 दिसंबर को पीवी नरसिम्हा राव संसद में बयान देते हैं और कहते हैं मस्जिद को गिराना बर्बर कार्य था।

बाबरी मस्जिद गिरने के बाद अगले कुछ समय तक मामला शांत रहता है। अगले कुछ सालों में केंद्र में भाजपा की सरकार आ जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 2001 में वीएचपी केंद्र सरकार को कड़ा संदेश देती है। कहती है, 'मस्जिद गिर चुकी है, राम मंदिर बनाने की तैयारी शुरू करें।' सरकार यदि नहीं करेगी तो वीएचपी खुद मंदिर बनाएगी। साल 2002 में यूपी चुनाव के लिए भाजपा ने घोषणापत्र जारी किया। राम मंदिर निर्माण का मुद्दा इसमें नहीं था। वीएचपी ने फिर आह्वान किया और कारसेवक फिर अयोध्या में जुटे। लेकिन प्रशासन हस्तक्षेप करती है। इसी दौरान कारसेवक जब लौट रहे थे तो गोधरा की एक ट्रेन में आग लगा दी जाती है, जिसमें बाद कई कारसेवक व अन्य लोग जलकर मर जाते हैं। परिणामस्वरूप गुजरात में भीषण दंगे होते हैं। देश में माहौल खराब हो चुका था, कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा। अप्रैल 2003 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तीन जजों की बेंच विवादित स्थल के मालिकाना हक की कार्रवाई शुरू करती है। Archaeological Survey of India यानी एसआई को वैज्ञानिक सबूत जुटाने का काम दिया जाता है। एसआई विवादित स्थान पर खुदाई करती है। खुदाई 6 महीने तक चलती है। अगस्त 2003 में एसआई रिपोर्ट पेश करती है।

1992 को कार सेवा दिवस मनाया जाएगा। देशभर से हिंदुओं को एक बार छि्र अयोध्या आने को कहा जाता है। कहते हैं कि 06 दिसंबर की प्लानिंग काफी समय पहले हो चुकी थी। एक बात यह भी सामने आती है कि 06 दिसंबर से पहले 05 दिसंबर को मस्जिद गिराने का रिहर्सल किया गया था।

06 दिसंबर 1992 को अयोध्या में लगभग 02 लाख कारसेवक पहुंच चुके थे। ये कारसेवक मस्जिद की तरफ बढ़ते

हैं। भीड़ ने मस्जिद को गिरा दिया। पहला गुंबद दो बजे तक, दूसरा गुंबद साढ़े तीन बजे तक और तीसरा गुंबद 5 बजे तक गिरा दिया जाता है। वहां रामलला के लिए एक छोटे मंदिर को तैयार किया जाता है। राम लाल उसमें विराजमान होते हैं। मुलायम सिंह की तरह तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। बल का भी प्रयोग नहीं किया, जब मस्जिद गिरी तो वीएचपी और भाजपा के कई नेता वहां मंच पर मौजूद थे। वो कार्यकर्ताओं और

संदेशखाली की महिलाओं का काला सच... रोंगटे खड़े करने वाले जुल्म की दिल दहलाती दास्तान

पश्चिम बंगाल के उत्तर-24 परगना जिले का संदेशखाली नामक कस्बा बीते डेढ़-दो माह से सुर्खियों में है। यहां रावण-राज जैसे शेख शाहजहां का जुल्मी राज चलता है। बीती 5 जनवरी को इसी कस्बे में राशन घोटाले के आरोपी शेख शाहजहां को पकड़ने जब ईडी की टीम गई, तो इसी मास्टर माइंड ने सुनियोजित तरीके से उस टीम पर ही हमला करवा दिया। उसी के बाद से ये जुल्मी फरार हो गया। बात बढ़ी, तो उसकी कई चौकाऊ जानकारीयां सामने आयीं। आखिर क्या है संदेशखाली का काला सच? गांव की कमसिन लड़कियों और हसीन महिलाओं को आधी रात को वह अपनी पार्टी (टीएमसी) के दफ्तर क्यों बुलवाता था? क्या उसने यहां सरकारी और कई निजी लोगों की जमीन कब्जा रखी है? क्या तृणमूल कांग्रेसी शेख शाहजहां और उसके गुर्गे शिबू हाजरा और उत्तम सरदार करते थे हिंदू महिलाओं से दुष्कर्म? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्यों बचाती रही भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, बलात्कारी और भू-माफिया को? क्या सरकारी संरक्षण में बांग्लादेश भाग गया ये महाजुल्मी? आखिर क्या है महिलाओं पर रोंगटे खड़े कर देने वाले जुल्म की दास्तान....

सुदर्शन चक्रधर

शेख शाहजहां का अपराध सिर्फ राशन घोटाला या ईडी टीम पर हमला करना ही नहीं है। वह भयानक जुल्मी हैवान है। शैतान है। हिंदू महिलाओं पर अत्याचार-बलात्कार करना उसकी फितरत है। वह भू- माफिया भी है। उसने संदेशखाली और आसपास की कई सरकारी व निजी जमीनों पर अपना कब्जा जमा रखा है। शेख शाहजहां पूरे 55 दिनों तक फरार रहा, लेकिन अंततः पकड़ा ही गया। जबकि उसके दोनों गुर्गे- उत्तम सरदार और शिबू हाजरा गैंगरेप और गुंडा एक्ट में गिरफ्तार हो चुके हैं। यहां की महिलाओं में इन बदमाशों और टीएमसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ इतना गुस्सा था कि इनके हर मकान और दुकान जलाई

जाती रही। इनको देखते ही पीटा जाता रहा। संदेशखाली की अनेक महिलाओं और युवतियों का कहना पड़ा कि इन आरोपियों- गुंडों ने उनके साथ जबरन दुष्कर्म करने के

इन महिलाओं का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के छुटभैया नेता और कार्यकर्ता आम घरों में जाकर यह देखते थे कि किसकी पत्नी सुंदर है? और किसकी उम्र कम है? इसके बाद उनके पतियों को धमकाया जाता था कि अब तुम्हारा अपनी पत्नी पर कोई अधिकार नहीं है।

साथ ही बलपूर्वक उनकी जमीनों पर भी कब्जा कर रखा है। महिलाओं के इस आरोप से राज्य के राज्यपाल डॉ. सी.वी. आनंदा बोस और कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी हैरान हैं। उन्होंने संदेशखाली का दौरा किया, तो वहां की महिलाओं के आरोप सुनकर भौंचक्क रह गए।

इन महिलाओं का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के छुटभैया नेता और कार्यकर्ता आम घरों में जाकर यह देखते थे कि किसकी पत्नी सुंदर है? और किसकी उम्र कम है? इसके बाद उनके पतियों को धमकाया जाता था कि अब तुम्हारा अपनी पत्नी पर कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद आधी रात को ऐसी महिलाओं को घर से जबरन उठा लिया जाता था इन महिलाओं



को बदमाशों का मन भरने के। बाद ही मुक्ति मिलती थी। उन दुराचारियों की दहशत इतनी है कि आज भी उक्त पीड़ित महिलाएं किसी से भी बात करते समय अपने-अपने मुंह ढांपकर ही रखती हैं।

बता दें कि शेख शाहजहां को संदेशखाली का रावण कहा जाता है। वह पश्चिम बंगाल सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रहे ज्योतिप्रिय मल्लिक का खास आदमी है। महिलाओं का आरोप है कि यहां की लड़कियों-युवतियों व कम उम्र की शादीशुदा महिलाओं को देर रात में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, कार्यालय में मीटिंग के नाम पर आने के लिए मजबूर करते थे। नहीं जाने पर उन्हें जबरन घर से उठवा लिया जाता था। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी संदेशखाली का दौरा करने के बाद ममता बनर्जी सरकार का इस्तीफा भी मांगा। रेखा शर्मा ने बाद में अपनी टीम के साथ राज्यपाल डॉ. आनन्दा बोस से मुलाकात

भी की और दिल्ली आकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलीं। रेखा शर्मा के अनुसार, संदेशखाली और आसपास... रेप और महिला उत्पीड़न के कई किस्से सामने आए

शेख शाहजहां को संदेशखाली का रावण कहा जाता है। वह पश्चिम बंगाल सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रहे ज्योतिप्रिय मल्लिक का खास आदमी है। महिलाओं का आरोप है कि यहां की लड़कियों-युवतियों व कम उम्र की शादीशुदा महिलाओं को देर रात में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, कार्यालय में मीटिंग के नाम पर आने के लिए मजबूर करते थे।

हैं। यह बेहद शर्मनाक है। रेखा शर्मा को अपनी आपबीती बताते हुए कुछ महिलाओं ने कहा कि, संदेशखाली में रहना बेहद खतरनाक है। यहां नर्क से भी बदतर हालात

हैं।

यहां की महिलाएं तृणमूल नेता और भूमाफिया शेख शाहजहां पर यौन उत्पीड़न के आरोप खुलकर लगाती रही हैं। वे कहती हैं कि ये शाहजहां, जिसे चाहे अपनी हवस का शिकार बनाता था। यही शाहजहां ईडी की टीम पर हमला करने के बाद से फरार हो गया था। फरारी के दौरान ही उसने अपना एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि बीजेपी के दलाल मुझे छू भी नहीं सकते! ईडी को आशंका थी कि शेख शाहजहां सरकारी संरक्षण में या तो बांग्लादेश भाग गया होगा या फिर उसे तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने ही कहीं गुप्त स्थान पर छुपा कर रखा था। तभी तो वह जालिम कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार पड़ते ही बंगाल पुलिस द्वारा सन्देशखाली के आसपास ही दबोच लिया गया। जबकि शेख शाहजहां के परिजनों ने आशंका व्यक्त की थी कि उसका एनकाउंटर कर उसे मार दिया जाएगा।

राष्ट्रीय महिला आयोग के बाद राष्ट्रीय



अनुसूचित जाति आयोग ने भी संदेशखाली का दौरा किया था और वहां की रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में आयोग ने प.बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी। इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी आरोप लगाया था कि संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां और उसके समर्थकों ने ममता बनर्जी की छांव में महिलाओं का आधी रात को यौन उत्पीड़न किया तथा उनकी जमीनों पर भी कब्जा कर रखा था।

संदेशखाली मामले की सुनवाई कर रही

अदालत का कहना पड़ा कि, संदेशखाली में जो भी हो रहा... विचलित करने वाला है... मीडिया में भी दिखाया गया कि कुछ महिलाओं के साथ गन प्वाइंट पर दुष्कर्म हुआ... यह बेहद दुखद है! अब संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं का कहना है कि बलात्कार साबित करने के लिए पुलिस वाले उनसे मेडिकल रिपोर्ट मांग रहे हैं। पुलिस वाले पूछते हैं कि गांव की महिलाएं ऐसे कैसे आगे आकर कह सकती हैं कि उनके साथ बलात्कार हुआ है? कई महिलाओं ने खुलेआम (ऑन कैमरा) आरोप लगाया कि शाहजहां शेख और

उसके गुर्गे आधी रात में घर की बहू-बेटियों को उठाकर ले जाते थे... और सुबह छोड़ते थे। शेख के आदमियों का नाम लेकर पीड़ित महिलाओं ने बताया कि ये सब तृणमूल पार्टी की बैठक के बहाने किया जाता था। अब यहां की महिलाएं सुरक्षा चाहती हैं। उन्हें अब घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। हालांकि शैतान शाहजहां फिलहाल 10 दिनों की पुलिस रिमांड में है, मगर संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं को आज भी न्याय का इंतजार है।

लेखक दैनिक राष्ट्रप्रकाश के संपादक एवं चर्चित स्तंभकार हैं।

राष्ट्रवाद के मुद्दे पर होगा 2024 का चुनाव 2024 का चुनाव क्यों है अलग?



राजनीतिक नजरिये से इसे एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 370 और एनडीए कुनबे को 400 सीटें मिलेंगी। एनडीए के मुकाबले के लिए कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, एनसीपी शरद पवार, शिवसेना, डीएमके, सीपीआई समेत कई पार्टियां एकजुट हुई हैं।

समता पाठक

2024 लोकसभा चुनाव में इतिहास बनना तय है। अगर नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार जीत की हैट्रिक बनाती है, तो भी इतिहास बनेगा। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता होंगे, जो लगातार तीन बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाएंगे। अगर नतीजे बीजेपी के खिलाफ गए तो भी इतिहास बनेगा। 2024 का मुकाबला नरेंद्र

मोदी वर्सेज विपक्ष है। राजनीतिक नजरिये से इसे एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 370 और एनडीए कुनबे को 400 सीटें मिलेंगी। एनडीए के मुकाबले के लिए कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, एनसीपी शरद पवार, शिवसेना, डीएमके,

सीपीआई समेत कई पार्टियां एकजुट हुई हैं। एनडीए के साथ बिहार में जेडीयू, लोकजनशक्ति पार्टी और हम है, जबकि यूपी में सुभासपा, आरएलडी और अपना दल (सोनेलाल) के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया है। राजनीतिक विश्लेषकों की नजरें हिंदी पट्टी के चार बड़े राज्यों यूपी, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान के अलावा दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और झारखंड पर टिकी



हैं। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी और एनडीए ने 95 फीसदी से ज्यादा सीटें जीत ली थीं। इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र में भी बीजेपी को बड़ा फायदा मिला था। कांग्रेस पार्टी के लिए 2024 का चुनाव अस्तित्व की लड़ाई जैसी है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों का भविष्य भी मई में होने वाले चुनाव नतीजों पर टिकी है। अभी तक पश्चिम बंगाल में टीएमसी और पंजाब में आम आदमी पार्टी दो ऐसी पार्टियां सामने आई हैं, जो अपने-अपने राज्यों में बीजेपी का कड़ा मुकाबला कर रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में बंटवारे के बाद विपक्ष की स्थिति कमजोर हो चुकी है। उम्मीद है कि 13 मई तक देश में चुनाव के बाद तय हो जाएगा कि सरकार कौन बना रहा है और प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे या नहीं। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, शरद पवार जैसे नेताओं की किस्मत भी इसी नतीजे से तय

होंगे। बीजेपी, कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। इस बार के चुनाव को NDA बनाम I.N.D.I.A. गठबंधन के रूप में देखा जा रहा है। 2024 के चुनाव का क्या रिजल्ट होगा? अगर हम परसेप्शन और आंकड़ों पर गौर करें, तो कुछ तथ्य हमारे समाने आते हैं, जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कौनसी पार्टी मजबूत स्थिति में है। हकीकत बयां करने के लिए अगर आंकड़ों पर भरोसा करेंगे तो गलती कम होगी, क्योंकि परसेप्शन कई बार गलत साबित हो चुका है, जबकि डेटा सही होता है।

2018 के मध्यप्रदेश चुनाव में कांग्रेस ने दावा किया कि नोटा की वजह से उनके प्रत्याशी चुनाव हारे, जबकि सच्चाई इससे इतर थी। 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव है, जहां यह दावा किया जा रहा था कि जदयू को उन सीट पर जीत दिला दी गई,

जहां मार्जिन बहुत कम था, जबकि सच्चाई इससे इतर थी। 1000 से कम वोट से जीत का जहां मार्जिन था, इस तरह की चार सीटें यूपीए के खाते में थीं, जबकि एनडीए के खाते में ऐसी सीट पांच थीं। वहीं, 2021 के बंगाल चुनाव में कहा गया कि बीजेपी को दलितों का साथ नहीं मिला और वे तृणमूल कांग्रेस के साथ गए हैं, जबकि आंकड़ों की मानें तो प्रदेश में 88 अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीटें हैं, जिनमें से 36 पर टीएमसी और 32 पर बीजेपी को जीत मिली। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 55 प्रतिशत और तृणमूल को 36 प्रतिशत वोट मिले।

इंडिया गठबंधन एनडीए को देगा चुनौती ?

अपने देश में ऐसे कई उदाहरण हैं, जब आप यह देखेंगे कि परसेप्शन पर आंकड़े भारी पड़ गए। अब जबकि लोकसभा चुनाव की तारीख कुछ ही दिनों में घोषित हो

सकती है। पहला सवाल यह है कि क्या 'इंडिया' गठबंधन एनडीए को चुनौती देने की स्थिति में है? दूसरा यह कि वाजपेयी सरकार भी बहुत लोकप्रिय थी, लेकिन वह 2004 का चुनाव हार गई थी।

क्यों हो रही है 2004 और 2024 के चुनाव की तुलना

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 2004 और 2024 के लोकसभा चुनाव की तुलना इसलिए हो रही है कि कुछ परिस्थितियां एक सी हैं। मसलन वाजपेयी जी बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। उसी तरह नरेंद्र मोदी भी बहुत लोकप्रिय नेता हैं। उस वक्त भी इस तरह की धारणा थी कि बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता और आज भी इसी तरह की धारणा है। उस वक्त भी सत्ता में बीजेपी थी और इस साल भी बीजेपी है। विपक्ष में कांग्रेस थी और आज भी कांग्रेस है। लेकिन इन आंकड़ों से इतर भी कुछ आंकड़ें हैं जो 2004 और 2024 के आंकड़े को अलग करते हैं। 2004 के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी काफी लोकप्रिय नेता थे, लेकिन उनकी लोकप्रियता उतनी नहीं थी जितनी नरेंद्र मोदी की है। नरेंद्र मोदी को 43 प्रतिशत जनता पीएम के रूप देखना चाहती है, जबकि वाजपेयी जी को 38 प्रतिशत जनता पीएम के रूप में देखना चाहती थी। सोनिया को 26 प्रतिशत जनता पीएम के रूप में देखना चाहती थी, जबकि राहुल को 27 प्रतिशत जनता पीएम के रूप में देखना चाहती है। कांग्रेस के पास 2004 में 114 सीट थी जबकि आज 52 सीट है, जबकि बीजेपी के पास आज 303 सीट हैं, जबकि उस वक्त 182 थी। 2004 में इंडिया गठबंधन की सरकार 14 राज्यों में थी जबकि आज नौ राज्यों में है। वहीं बीजेपी की आज 18 राज्यों में सरकार है जबकि उस वक्त 6 राज्यों में थी। वोट प्रतिशत बीजेपी का आज 37.36 है, जबकि 2004 में 23.75 प्रतिशत था। यानी बीजेपी के जनाधार पर अगर गौर करें तो हमें भारी फर्क



नजर आता है। कांग्रेस ने जिस तरह अपने जनाधार को खोया है, उसे पाटना बहुत मुश्किल है।

ये आंकड़ें बीजेपी के पक्ष में

कुछ और आंकड़ें हैं जो बीजेपी के पक्ष में जाते हैं। मसलन 1999 में 16 प्रतिशत बीजेपी के साथ थे जो आज 36 प्रतिशत हो गए हैं। ग्रामीण इलाकों में पहले बीजेपी को 22 प्रतिशत समर्थन था अब 38 प्रतिशत है। ओबीसी का समर्थन पहले 20 प्रतिशत था अब 44 प्रतिशत है। एसटी का समर्थन पहले 22 प्रतिशत था, जो अब 44 प्रतिशत है। वहीं एससी अब बीजेपी के साथ 33 प्रतिशत है, जो 1999 में 14 प्रतिशत है। कुल वोट शेयर 1999 में 24 प्रतिशत था, जबकि 2019 में 37 प्रतिशत था।

एक्जिट पोल सच के करीब होता है

एक्जिट पोल के सच होने की संभावना सबसे अधिक है, बावजूद इसके कई बार यह फेल हो जाता है। वजह यह है कि कोई भी पोल वोट के प्रतिशत के आधार पर अपना

अनुमान बताता है, जबकि अपने देश में वोट प्रतिशत और जीते हुए सीट में काफी अंतर होता है। उदाहरण के लिए यूपी इलेक्शन पर ध्यान दें तो 1996 में बीजेपी को 33 प्रतिशत वोट मिले थे और उसे 160 सीट मिला था, जबकि 2012 में समाजवादी पार्टी को 29 प्रतिशत वोट पर 224 सीट मिले थे। वहीं 2014 में बीएसपी को 20 प्रतिशत वोट मिलने के बाद भी एक भी सीट नहीं मिली। ओपिनियन पोल जिस वक्त किया जाता है, वह उसी वक्त के ट्रेंड को बताता है अगर एक महीने पहले किया पोल है तो वह अब परिस्थितियों के अनुसार सटीक नहीं भी हो सकता है।

हिंदुत्व का नहीं, राष्ट्रवाद का चुनाव

2014 और 2019 के चुनाव विकास और राष्ट्रवाद के नाम पर लड़े गए थे, जबकि 2024 का चुनाव भी राष्ट्रवाद के नाम पर लड़ा जाएगा, लेकिन इसमें हिंदुत्व बहुत बड़ा फैक्टर होगा।

लोकसभा चुनाव 2024 एडवाइजरी

प्रत्याशियों और दलों पर चुनाव आयोग की सख्ती



किशन भावनानी

भारतीय चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों सरकारों व अन्य संबंधित हितधारकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। वहीं सत्ताधारी पार्टी ने निर्वाचन आयोग से आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने और शहरी इलाकों में विभिन्न आवासीय सोसायटी के परिसरों में

भी मतदान केंद्र स्थापित किए जाने की मांग की। एक ज्ञापन में पार्टी ने निर्वाचन आयोग से राजनीतिक दलों की मीडिया सामग्री की अनुमोदन प्रक्रिया में सुधार पर विचार करने का भी आग्रह किया ताकि उन्हें अपने अभियान की योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। पार्टी ने आयोग से यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया कि चुनाव के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा

अपने घरों पर झंडे लगाने और वॉल पेंटिंग बनाने से संबंधित नियम में कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। चूंकि लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा शीघ्र रही जारी करने की उम्मीद है। उसी के आधार पर चुनाव आयोग द्वारा भी तारीखों की शीघ्र घोषणा की जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 की एडवाइजरी में सोशल मीडिया गतिविधियों से बदनाम करने,

अपमान करने को भी शामिल किया गया है तथा मतदाताओं ने अब 2024 लोकसभा चुनाव में ठान लिया है कि उस पार्टी व प्रत्याशी को वोट देंगे जो मुद्दों और तथ्यात्मक आधार पर बात करेगा। अगर हम एडवाइजरी की बात करें तो लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा से पहले चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों को एडवाइजरी जारी किया है, आयोग ने कहा कि प्रचार के दौरान जाति, धर्म और भाषा के आधार पर

पहले भी आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने का नोटिस मिल चुका है, दोबारा करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। आयोग का यह सलाह इस महीने के अंत में लोकसभा और चार राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ आदर्श संहिता लागू होने से कुछ दिन पहले आई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया था कि राजनीतिक दलों को नैतिक और सम्मानजनक राजनीतिक

प्रचार में शिष्टाचार बनाए रखने और स्टार प्रचारकों और उम्मीदवारों, खासकर उन लोगों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी डालने की चेतावनी दी, जिन्हें अतीत में नोटिस जारी किए गए थे। चुनाव आयोग ने पार्टियों को अभियान में मुद्दा-आधारित बहस करने के लिए कहा। साथ ही पार्टियों और उनके नेताओं को तथ्यात्मक आधार के बिना बयान नहीं देने की सलाह दी है। मतदाताओं को गुमराह नहीं करने की भी सलाह दी है।



वोट न मांगें और भक्त देवता के रिश्ते का अपमान न करें। इसके अलावा भड़काऊ और नफरत फैलाने वाले भाषण के साथ-साथ गलत और बिना तथ्यों के बयान ना देने का सख्त निर्देश दिया है। आयोग ने मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे या कोई अन्य पूजा स्थल को लेकर किसी तरह के बयान देने से बचने को कहा अन्यथा कार्रवाई हो सकती है। चुनाव आयोग के पैनल ने कहा कि जिन स्टार प्रचारकों और उम्मीदवारों को

प्रचलन को बढ़ावा देना चाहिए, जो लोगों को बांटने या व्यक्तिगत हमलों के बजाय विचारों को बढ़ावा दें। आयोग की सलाह नैतिक राजनीतिक को प्रेरित करता है। साथ ही 2024 के आमचुनावों में अव्यवस्था को दूर करने का प्रयास है। आयोग ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन न हो इसके लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण के जरिए सभ्य अभियान के लिए जमीन तैयार की है। चुनाव आयोग ने पार्टियों को सार्वजनिक

इस एडवाइजरी में सोशल मीडिया गतिविधियों को भी शामिल किया गया है, जिसमें प्रतिद्वंद्वियों को बदनाम करने वाले या उनका अपमान करने वाले पोस्ट को शेयर न करने की सलाह दी है।

बात अगर हम भारत में हर 5 वर्षों में लोकसभा चुनाव होने की करें तो, भारत में सामान्य तौर पर हर पांच साल बाद लोक सभा चुनाव होते हैं और अभी तक कुल 17 चुनाव हो चुके हैं। अगली याने 18वीं लोक

सभा के लिए वर्ष 2024 के अप्रैल-मई में चुनाव प्रस्तावित है। भारतीय संसद के दो सदन हैं- राज्य सभा और लोक सभा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधायक और सांसद करते हैं, इसलिए इसे उपरी सदन भी कहते हैं जबकि लोक सभा के सदस्यों का चुनाव मतदान के द्वारा सीधे जनता करती है। इसलिए लोक सभा के चुनाव को आम चुनाव भी कहा जाता है। लोक सभा चुनाव 2024 में भी 543 सीटों के लिए मतदान होगा, जिसमें भाजपा और कांग्रेस प्रमुख प्रतिद्वंद्वी पार्टियां होंगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में जीत से उत्साहित सत्ताधारी लोकसभा इलेक्शन 2024 में भी विजय का दावा कर रही है, वहीं विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के बैनर तले साझा उम्मीदवार देकर सत्ताधारी पार्टी को चुनौती पेश करने की कोशिश कर रही है। पिछली लोक सभा के लिए चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के बीच संपन्न हुए थे और 18वीं लोकसभा के लिए भी वर्ष 2024 में इन्हीं तारीखों के आसपास चुनाव कराने की घोषणा निर्वाचन आयोग कर सकता है।

साथियों बात अगर हम लोकसभा चुनाव की अधिसूचना और मतदान तिथियों की घोषणा की करें तो, लोकसभा चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। इसके बाद आयोग द्वारा मतदान तिथियों की घोषणा की जाती है। यहीं से चुनाव प्रक्रिया आरम्भ होती है। वहीं, विधानसभा के चुनाव के लिए राज्यपाल अधिसूचना जारी करता है। एक या अधिक अधिसूचनाओं द्वारा राज्य के आधिकारिक राजपत्र में ऐसी तिथि या तारीखों पर प्रकाशित करता है, जैसा कि चुनाव आयोग द्वारा अनुशंसित किया जा सकता है। राज्य के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और आदेशों के प्रावधानों के

लोक सभा चुनाव 2024 में भी 543 सीटों के लिए मतदान होगा, जिसमें भाजपा और कांग्रेस प्रमुख प्रतिद्वंद्वी पार्टियां होंगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में जीत से उत्साहित सत्ताधारी लोकसभा इलेक्शन 2024 में भी विजय का दावा कर रही है, वहीं विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के बैनर तले साझा उम्मीदवार देकर सत्ताधारी पार्टी को चुनौती पेश करने की कोशिश कर रही है।

अनुसार सदस्यों का चुनाव करने का आह्वान करता है। अधिसूचना जारी होने का क्या होता है मतलब? चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य में मौजूदा सरकार भंग हो जाती है। इसके बाद सरकार कोई भी योजना या नया काम शुरू नहीं कर सकती। इतना ही नहीं सत्ताधारी पार्टी सरकारी खजाने के इस्तेमाल भी नहीं कर सकती है। प्रदेश में राज्यपाल का शासन लागू हो जाता है। चुनाव होने के बाद अगली सरकार का गठन होने तक राज्यपाल का ही शासन रहता है। साथियों बात अगर हम चुनाव आदर्श आचार संहिता की करें तो, यह राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिये बनायी गयी एक नियमावली है जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है। चुनाव आयोग चुनाव से पहले इसके लागू होने की घोषणा करता है और चुनाव के बाद इसके समाप्त होने की। यह सरकार, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों तथा जनता को दिये गये निर्देश हैं, जिसका पालन चुनाव के दौरान किया जाना जरूरी है। चुनाव आचार संहिता चुनाव की तिथि की घोषणा से लागू होता है और यह मतदान के परिणाम आने पर समाप्त हो जाता है। चुनाव आचार संहिता संविधान में वर्णित नहीं किया गया है, अपितु यह एक क्रमशः प्रक्रिया का परिणाम है। इसका प्रवर्तन एक चुनाव आयुक्त एन. शेषन द्वारा किया गया है। चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत अनेक

बातें शामिल हैं-

- (1) सरकार के द्वारा लोक लुभावन घोषणाएँ नहीं करना
- (2) चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न करना।
- (3) राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा जाति, धर्म व क्षेत्र से संबंधित मुद्दे न उठाना।
- (4) चुनाव के दौरान धन-बल और बाहु-बल का प्रयोग न करना।
- (5) आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी व्यक्तिको धन का लोभ न देना।
- (6) आचार संहिता लागू हो जाने के बाद किसी भी योजनाओं को लागू नहीं कर सकते।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि लोकसभा चुनाव 2024-चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों प्रत्याशियों को एडवाइजरी जारी। लोकसभा चुनाव 2024 एडवाइजरी में सोशल मीडिया गतिविधियों से बदनाम करने, अपमान करने को भी शामिल किया गया। मतदाताओं ने अब 2024 लोकसभा चुनाव में ठन लिया है कि, उस पार्टी व प्रत्याशी को वोट देंगे जो मुद्दों और तथ्यात्मक आधार पर बात करेगा।

समानता का कानून बनाने में उत्तराखण्ड ने रचा इतिहास



प्रमोद भार्गव

उत्तराखण्ड राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक राज्य विधानसभा में पारित करके देश में समानता का कानून बनाने के संदर्भ में इतिहास रचने का काम किया है। ध्वनिमत से अस्तित्व में आए इस कानून के साथ स्वतंत्र भारत में उत्तराखण्ड ऐसा पहला राज्य बन गया है, जिसने संविधान निर्माताओं द्वारा समान नागरिक संहिता के देखे गए स्वप्न को साकार करने का काम किया है। इस दिशा में गुजरात और असम में भी इसी प्रकार का कानून लाने की तैयारी हालांकि गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता पुर्तगाली शासन के समय से ही लागू है। विधेयक पर बहस के समय

सत्ता पक्ष भाजपा ने प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पर खूब तल्ख कटाक्ष किए, लेकिन कांग्रेस पलटवार में आक्रामक होने की बजाय मौन साधे रही। अतएव लगता है

**कांग्रेस अब धर्मनिरपेक्षता के
बहाने मुस्लिम परस्ती से
छुटकारा पाने के रास्ते तलाश
रही है। यह विधेयक राज्यपाल
से अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति
के अनुमोदन के साथ ही
कानून का रूप ले लेगा।**

कांग्रेस अब धर्मनिरपेक्षता के बहाने मुस्लिम परस्ती से छुटकारा पाने के रास्ते तलाश रही है। यह विधेयक राज्यपाल से अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ ही कानून का रूप ले लेगा।

उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की समीति ने इस विधेयक का प्रारूप आठ सौ पृष्ठों में तैयार किया है। चूंकि देसाई न्यायालयीन प्रक्रिया से लंबे समय तक प्रत्यक्ष अवगत रही हैं, इसलिए उन्हें ज्ञात रहा है कि कानून में असमानताओं के चलते लोगों को किस तरह से परेशान होना पड़ता है। अतएव अब उत्तराखण्ड में उन कानूनों को समाप्त कर दिया है, जो स्त्री-पुरुष में भेद के साथ



संतान और संपत्ति में भी भेद के पर्याय रहे हैं। साफ है, व्यक्तिगत नागरिक अधिकार संबंधी मामलों से जुड़े ज्यादातर कानूनों में एकरूपता लाने का स्वागत योग्य प्रयास किए गए हैं। अब प्रत्येक धर्म के दंपति को विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण नहीं होने पर सरकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित होना पड़ेगा। कोई भी पति, पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। सभी धर्मों में विवाह की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित है।

वैवाहिक दंपति में यदि कोई एक व्यक्ति बिना किसी दूसरे पक्ष की सहमति के मत परिवर्तन करता है तो दूसरे पक्ष को उससे तालाक लेने व गुजारा भत्ता लेने का पूरा अधिकार रहेगा। पति-पत्नी के संबंध विच्छेद या घरेलू झगड़े के समय पांच वर्ष

अब प्रत्येक धर्म के दंपति को विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण नहीं होने पर सरकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित होना पड़ेगा। कोई भी पति, पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकता है।

तक का बच्चा माता के पास रहेगा। सभी धर्मों के पति और पत्नि को तालाक लेने का अब समान अधिकार प्राप्त हो गया है। तीन तलाक को केंद्र सरकार पहले ही समाप्त कर चुकी है। मुस्लिम समुदायों में प्रचलित हलाला और इद्दत पर रोक लगा दी गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के चलते ये कानून अस्तित्व में थे, जिन्हें अब खत्म तो कर ही दिया गया है, कानून का उल्लंघन करने पर

सजा का भी प्रावधान किया गया है। सभी धर्म समुदायों में सभी वर्गों के लिए बेटे-बेटी को संपत्ति में समान अधिकार होगा।

बावजूद इस अच्छे कानून में एक कानून आंखों में खटकने वाला है। इस विधेयक की धारा सात अध्याय दो और धारा-381 में सह-जीवन (लिव-इन) के रिश्तों में रहने वाले युगलों को पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में गैर-पंजीकृत युगलों पर सोशल पुलिसिंग का खतरा बढ़ सकता है? वर्तमान समय आर्थिक युग का है। ऐसे में आजीविका के लिए युवक एवं युवतियों को अकेले रहना पड़ रहा है, जो जीवन में कठिनाई बढ़ाता है। नतीजतन संपर्क में आने के बाद कई जोड़े साथ रहने को मजबूर हो जाते हैं। यह एक व्यावहारिक मानसिकता है। हालांकि यह ठोस सच्चाई है कि लिव-इन रिश्तों के प्रचलन से महिलाओं पर अत्याचार और

आक्रमण के मामले बढ़े हैं। साथ ही विवाह संस्था की सात जन्मों वाले गठबंधन और पवित्रता के मूल्य एक हद तक घटे भी है। ऐसे में पंजीकरण की बाध्यता करने से ऐसे युगल राहत में रहेंगे, जिन्हें परिजनों की साथ रहने की स्वीकृति नहीं मिलती है। लिहाजा पंजीकरण के चलते युगल को संतान होती है तो उसे लालन-पालन के साथ विरासत संबंधी कानूनी अधिकार भी मिल जाएंगे। अतएव अविवाहित मातृत्व से पैदा होने वाली संतान का भविष्य माता-पिता का नाम मिल जाने के कारण संरक्षित होगा।

संविधान राज्य को स्वतंत्र रूप से समान नागरिक कानून बनाने का अधिकार देता है। अतएव संविधान में दर्ज नीति-निर्देशक सिद्धांत यही अपेक्षा रखता है कि समान नागरिकता समूचे देश में लागू हों। जिससे देश में रहने वाले हर व्यक्तिके लिए एक ही तरह का कानून वजूद में आ जाए, जो सभी धर्मों, संप्रदायों और जातियों पर लागू हो। आदिवासी और घूमंतू जातियां भी इसके दायरे में आएंगी। केंद्र में सत्तारूढ़ राजग सरकार से यह उम्मीद ज्यादा इसलिए है, क्योंकि यह मुद्दा भाजपा के बुनियादी मुद्दों में शामिल है।

संविधान राज्य को स्वतंत्र रूप से समान नागरिक कानून बनाने का अधिकार देता है। अतएव संविधान में दर्ज नीति-निर्देशक सिद्धांत यही अपेक्षा रखता है कि समान नागरिकता समूचे देश में लागू हों।

इसमें सबसे बड़ी चुनौतियां बहुधर्मों के व्यक्तिगत कानून और वे जातीय मान्यताएं हैं, जो विवाह, परिवार, उत्तराधिकार और गोद जैसे अधिकारों को दीर्घकाल से चली आ रही क्षेत्रीय, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को कानूनी स्वरूप देती हैं। इनमें सबसे ज्यादा भेद महिलाओं से बरता जाता है। एक तरह से ये लोक प्रचलित मान्यताएं महिला को समान हक देने से खिलवाड़ करती हैं। लैंगिक भेद भी इनमें स्पष्ट परिलक्षित हैं। मुस्लिमों के विवाह व

तलाक कानून महिलाओं की अनदेखी करते हुए पूरी तरह पुरुषों के पक्ष में हैं। ऐसे में इन विरोधाभासी कानूनों के तहत न्यायपालिका को सबसे ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ता है। अदालत में जब पारिवारिक विवाद आते हैं तो अदालत को देखना पड़ता है कि पक्षकारों का धर्म कौनसा है? और फिर उनके धार्मिक कानून के आधार पर विवाद का निराकरण करती है। इससे व्यक्ति का मानवीय पहलू तो प्रभावित होता ही है, अनुच्छेद 44 की भावना का भी अनादर होता है। दरअसल ब्रिटिशकालीन भारत-1772 में सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक और संपत्ति के उत्तराधिकार से जुड़े अलग-अलग कानून बने थे, जो आजादी के बाद भी अस्तित्व में बने हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा तीन तलाक के खात्मे के बाद अब उत्तराखंड राज्य सरकार ने समान नागरिक कानून बनाकर अन्य राज्यों को यह संदेश दे दिया है कि वे भी अपने राज्य में समान नागरिक कानून बनाकर समानता के भेद को खत्म कर सकते हैं?

घोषणा : प्रारूप चार : नियम आठ

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. प्रकाशन का स्थान | - भोपाल |
| 2. प्रकाशन की अवधि | - मासिक |
| 3. मुद्रक का नाम | - जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स, भोपाल |
| 4. प्रकाशक का नाम | - विजया पाठक |
| 5. क्या आप भारत के नागरिक है | - हाँ (भारतीय) |
| 6. संपादक का नाम | - विजया पाठक, भारतीय |
| 7. पत्र के स्वामी का नाम व पता | - विजया पाठक |

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल

मैं विजया पाठक यह घोषणा करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास के आधार पर पूर्णतः सत्य है।

1 मार्च 2024

विजया पाठक
प्रकाशक

क्या केंद्र सरकार की तरफ से जनसंख्या रोकने का कारगर हथियार बनेगा UCC?

रमेश ठाकुर

संयुक्त राष्ट्र ने भारत को जनसंख्या आबादी के लिहाज से अव्वल घोषित कर दिया है, जबकि इस पायदान पर काफी समय से चीन ही रहा। लेकिन अब वो दूसरे नंबर पर है। बेहताशा बढ़ती जनसंख्या ने न केवल वर्तमान विकास क्रम को प्रभावित कर रही है, बल्कि भविष्य की कई चुनौतियां को भी खड़ा कर दिया है। हिंदुस्तान में सुगबुगाहट बीते कुछ महीनों से है कि जनसंख्या रोकने की योजना बन चुकी है जिसका खुलासा जल्द होने वाला है। बताया जा रहा है कि यूसीसी के भीतर ही जनसंख्या नियंत्रण का मसौदा भी शामिल हैं। हालांकि

इसको लेकर अभी भ्रम की स्थिति बनी हुई। फिलहाल कानून के ड्राफ्ट के संबंध में अभी तक खुलकर सरकार ने भी पत्ते नहीं खोले हैं। पर, इतना जरूर है, अगर यूसीसी में

जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा बहुत पेचिदा होता चला जा रहा है, कुछ समर्थन में हैं तो कई विरोध में खड़े हैं? समय की मांग यही है किसी की परवाह किए बिना केंद्र को इस मसले पर गंभीर होना पड़ेगा। क्योंकि बगैर सरकारी सख्ती के कोई हल निकलने वाला नहीं?

जनसंख्या नियंत्रण का प्रावधान होगा, तो इससे बढ़ती आबादी पर कुछ अंकुश जरूर लग सकेगा।

बहरहाल, जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा बहुत पेचिदा होता चला जा रहा है, कुछ समर्थन में हैं तो कई विरोध में खड़े हैं? समय की मांग यही है किसी की परवाह किए बिना केंद्र को इस मसले पर गंभीर होना पड़ेगा। क्योंकि बगैर सरकारी सख्ती के कोई हल निकलने वाला नहीं? विगत बीते चार दशकों में जन आबादी में जिस तेजी से बढ़ोतरी हुई, उसने सबकुछ तहस-नहस कर दिया। जनसंख्या ने ही साधन, संसाधन, जमीन, हक-हकूक, रोजगार व काम-धंधों



पर प्रहार किया है. हिंदुस्तान की आबादी विकराल रूप ले चुकी है।

जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम अब खुलकर दिखने लगे हैं। जैसे, एक भूखा बेजुबान पशु खाने पर झपट्टा मारता है, स्थिति इंसानों में भी कुछ ऐसी ही होने लगी है। गांव-देहातों में मात्र गज भर जमीन के लिए खुलेआम कत्ल होने लगे हैं। शहरों में पार्किंग को लेकर सिर फटने शुरू हो गए हैं। युवा पेट पालने के लिए धक्के खाने पर मजबूर हैं। अब देखिए ना, एक चपरासी की नौकरी के लिए पीएचडी जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं की फौज लाइनों में लगने लगी है। बढ़ती आबादी से रोजगार-धंधे सिमट गए हैं। आवासीय इलाके व सड़कें इंसानों और वाहनों से खचाखच भर चुकी हैं। पार्किंग फुल हैं, घरों के आंगन सिमट गए हैं, आवासीय जगहें कम हो गई हैं, इसी कारण फ्लैट संस्कृति का चलन लागू हो गया है। इसलिए जनसंख्या विस्फोट को रोकना निहायत ही जरूरी हो गया है। इसमें भला किसी एकवर्ग या एक समुदाय का फायदा नहीं, बल्कि सबका भला है।

सरकार का स्लोगन हम दो हमारे दो भी बढ़ती आबादी के समाने फीका पड़ चुका है। इसे कुछोंने अपनाया, तो कईयों ने नकारा? भारत के अलावा इथियोपिया-तंजानिया, संयुक्त राष्ट्र, चीन, नाइजीरिया, कांगो, पाकिस्तान, युगांडा, इंडोनेशिया व मिश्र भी ऐसे मुल्क हैं जहां की स्थिति भी कमोबेश हमारे ही जैसी है लेकिन इन कई देशों में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कानून अमल में आ चुके हैं।

कई देशों में दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर सरकारी सुविधाओं से वंचित करने का फरमान जारी हो चुके हैं। जनगणना-2011 के मुताबिक भारत की आबादी 121.5 करोड़ थी जिनमें 62.31 करोड़ पुरुष और 58.47 करोड़ महिलाएं शामिल थीं। लेकिन अब 140 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला



राज्य उत्तरप्रदेश में है जिसकी आबादी पाकिस्तान की जनसंख्या को भी पार कर गई है।

वहीं, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अब भी सिक्किम ही है। जनसंख्या नियंत्रण पर जब भी कानून बनाने की मांग उठती है, उसे सियासी मुद्दा बना दिया जाता है। जबकि, इस समस्या से आहत सभी हैं। पढ़ा-लिखा हिंदु-मुसलमान, सिख-ईसाई सभी समर्थन में हैं कि इस मसले पर मुकम्मल प्रयास होने चाहिए। समूचा हिंदुस्तान जनसंख्या विस्फोट का भुगतभोगी है। बेरोजगार युवा तनाव में हैं। कुछ गलत रास्तों पर भी चल पड़े हैं।

एनसीआरबी के ताजे आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि हर तरह के अपराधों में युवाओं की संख्या अब बढ़ रही है जिसमें ब्लैकमेलिंग, लूटपाट, चोरी, रंगबाजी आदि कृत्य शामिल हैं। बढ़ती आबादी को देखकर प्रबुद्ध वर्ग दुखी है, वह सहूलियतें चाहते हैं,

सामान अधिकार चाहते हैं, खुली फिजाओं में सांस लेना चाहते हैं, सभी को घरों की छत और रोजगार मिले इसकी ख्वाहिशें सभी की हैं। युवाओं को जरूरत के हिसाब से जॉब मुहैया हां, डिग्री लेकर सड़कों पर घूमना न पड़े। इसलिए समूचा शिक्षित अल्पसंख्यक वर्ग भी जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में हैं हां, उनका एक धड़ा इसके खिलाफ है, जो जनसंख्या बढ़ोतरी को कुदरत का वरदान मानता है। उसे रोकने को बुरा मानता है। दरअसल, ऐसे लोगों की मानसिकता को हमें बदलने की जरूरत है। पढ़ा लिखा मुसलमान भी भविष्य में होने वाले खतरों से वाकिफ हो चुका है। वक्त की मांग यही है, जनसंख्या चाहें यूसीसी के माध्यम से रुके या फिर किसी अलहदा कानून से, रूकना चाहिए। इसके लिए सभी पक्ष-विपक्षों को एक मंच पर आने की जरूरत है। समाज को इस मसले पर सरकार का साथ देना चाहिए।

छह पैमानों को अपनाकर भारत 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कर सकेगा प्राप्त

विजया पाठक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को साल 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य तय किया है, वो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती होने के साथ-साथ बड़ा मौका भी है। इस काम में हमें कितनी सफलता मिलेगी, ये इस पर निर्भर करता है कि हमारा वित्तीय क्षेत्र कितने असरदार तरीके से काम करता है। जलवायु परिवर्तन पर हुई बैठक (कॅप 26) में भारत ने साल 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का संकल्प लिया है। अगर भारत को ये लक्ष्य हासिल करना है कि उर्जा, उद्योग और

परिवहन जैसे अहम क्षेत्रों में अभी इस्तेमाल हो रही तकनीकी को छोड़कर कम कार्बन उत्सर्जन वाली तकनीकों को चुनना होगा जिससे तेज़ी से आर्थिक विकास भी हो साथ ही कारोबार और आम जीवन में इसका कम से कम नकारात्मक असर भी दिखे।

वैसे अगर हकीकत में देखें तो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का संकल्प अगले 50 साल में भारत के लिए आधारभूत ढांचे के विकास और रोजगार पैदा करने का बड़ा अवसर बन सकता है। एक अनुमान के मुताबिक 2070 तक ये लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत को सौर

और वायु उर्जा के उत्पादन में 70 गुना की वृद्धि कर इसे 7,700 गीगावाट तक ले जाना होगा। इसके साथ ही हमें बुनियादी ढांचे को इतना विकसित करना होगा कि वो सालाना 114 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता को संभाल सके। एक अनुमान के मुताबिक इन सब चीजों के विकास और उर्जा, उद्योग और परिवहन के क्षेत्र में इसके इस्तेमाल में 10.1 ट्रिलियन डॉलर का खर्च आने का अनुमान है। अगर मौजूदा स्थिति को देखें तो 6.6 ट्रिलियन डॉलर जुटाने के संसाधन तो हमारे पास हैं लेकिन 3.5 ट्रिलियन डॉलर की फिर



भी कमी होगी। ऐसे में आने वाले दशकों में भारत का विकास इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इतने बड़े पैमाने पर पूंजी कैसे जुटाते हैं और कितनी सफलता से मानवीय संसाधन को इस बदलाव के लिए तैयार कर पाते हैं। ऐसे का इंतजाम करना सबसे बड़ी चुनौती होगी क्योंकि अगले 50 साल तक हमें हर साल करीब 200 अरब डॉलर इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जुटाने होंगे। यहां हम 06 ऐसे कदमों की चर्चा करेंगे जो इस पूंजी को जुटाने में मदद कर सकते हैं। इस रकम का इंतजाम 3 चीजों पर निर्भर करेगा और ये 03 चीजें हैं पूंजी जुटाना, ऋण लेना, लोन के

हिसाब लगाने में आसानी होगी कि हरित उर्जा के लिए ज्यादा वित्तीय मदद दी जाए।

दूसरा कदम- इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकारी पूंजी भी उधार दी जाए। इससे लोन लेने में आने वाले जोखिम तो कम होंगे ही साथ ही ब्याज दरें भी बेकाबू नहीं होंगी, खासकर उभरते बिजनेस मॉडल और नई तकनीकी पर काम कर रही कंपनियों को इससे मदद मिलेगी। उन कंपनियों को इससे

हाइड्रोजन परियोजना के लिए पैसों का इंतजाम होगा और इनका बेहद तेज़ गति से विकास होगा।

चौथा कदम- इन परियोजनाओं में विदेशी बैंकों को भी शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए। इससे विदेशी पूंजी तो मिलेगी ही साथ ही देश में तेज़ विकास भी होगा लेकिन इसके लिए नीति-निर्माताओं और नियामक संस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए जो भारत में बहुत कम दिखता है। इसी तालमेल की कमी की वजह से कई विदेशी बैंकों को भारत में अपना काम समेटना पड़ा और जो विदेशी बैंक बचे भी हैं, लोन देने के क्षेत्र में उनका असर बहुत कम है।

पांचवां कदम- प्रतिभूति बाज़ार (बॉन्ड मार्केट) और वित्त जुटाने के दूसरे उपकरणों



मूलधन और ब्याज की वसूली। इसे देकर यहां दिए जा रहे हर एक सुझाव वित्तीय संसाधन जुटाने की समस्या हल करने में मददगार होंगे।

पहला कदम- सबसे पहले हर क्षेत्र के लक्ष्य तय कर लेने चाहिए। अगर संभव हो तो 2070 तक के लिए लक्ष्य निर्धारित कर उनका वर्गीकरण करना चाहिए। इसका फायदा ये होगा कि वित्तीय मदद देने वालों को उस क्षेत्र की आर्थिक क्षमता और संभावित जोखिमों की जानकारी मिलेगी। इससे होगा ये कि लोन देने वालों को ये

ज्यादा फायदा मिलेगा जो पेट्रोल-डीजल और कोयले वाले ईंधन से कम कार्बन उत्सर्जन ईंधन वाली तकनीकी पर जाने की सोच रही हैं।

तीसरा कदम- चीन की तरह भारत को भी बुनियादी ढांचे के विकास की परियोजनाओं का फंड जुटाने के लिए बड़े बैंकों की स्थापना करनी चाहिए। दुनिया के 5 सबसे बड़े बैंकों में से 4 बैंक चीन के हैं। अगर भारत में भी ऐसे बैंकों की स्थापना की जाती है तो रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन

को मजबूत करने से हरित विकास परियोजनाओं के लिए पैसे जुटाना आसान होगा। बैंकों की लोन देने की शर्तों को भी आसान बनाना चाहिए।

छठा कदम- सार्वजनिक पूंजी का इस्तेमाल करके विदेशी निवेशकों को भारतीय परियोजना में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फिलहाल ज्यादातर निवेशक ऐसा करने से बचते हैं क्योंकि इस तरह की परियोजनाओं में निवेश की लागत बहुत महंगी पड़ती है।

डिजिटल सेवाओं ने आसान बना दी है जिंदगी



अमित राय

भारत में कुछ महीने पहले ही, 5 जी सेवाओं की शुरुआत की गयी थी और अब 6 जी सेवाओं को शुरू करने की दिशा में अपने कदम बढ़ाते हुए, भारत ने स्वयं को अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे अग्रणी देशों की पंक्ति में खड़ा कर लिया है। पहले सरकार के लिए दूरसंचार तकनीक एक वैभव प्रदर्शन का माध्यम मात्र थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसे सशक्तिकरण का माध्यम बनाया है। आज हमारे डिजिटल सेवाओं के प्रसार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और

रोज़गार के क्षेत्र में नये अवसरों का सृजन करने के साथ ही, सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाने का भी कार्य किया है। लोग इंटरनेट से पहले और इंटरनेट के बाद मानव जीवन का विश्लेषण कर रहे हैं। यह हमारे संवाद और सूचनाओं को हासिल करने का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। आज से कुछ वर्ष पहले तक, भारत में इंटरनेट को विलासिता का प्रतीक माना जाता था। इसकी पहुंच समाज के कुछ सीमित लोगों तक की थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरगामी सोच ने

समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को भी इंटरनेट से जोड़ते हुए, एक भ्रूणकारी बदलाव की नींव रखी। आज लोगों को किसी आवेदन की जरूरत हो या प्रशासनिक मदद की, लोग हर प्रकार की ऑनलाइन सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं और अपने जीवन को बेहद आसान बना सकते हैं। आज जब प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में भारत 6-जी की तैयार कर रहा है, तो इससे निश्चित रूप से हमारे शिक्षा जगत, नव उद्यमों में नये अवसरों की भरमार होगी। इन प्रयासों से देश में नवाचार, क्षमता निर्माण



और प्रौद्योगिकी की स्वीकार्यता के लिए एक उत्तम वातावरण का निर्माण होगा, जिससे हमारे 'डिजिटल इंडिया' के संकल्पों को भी एक नई उर्जा मिलेगी। उनके शासनकाल में भारत ने जिन उपलब्धियों को हासिल किया है, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। आज देश में हर महीने 800 करोड़ से भी अधिक यूपीआई आधारित लेन-देन होते हैं। केन्द्र सरकार द्वारा 43 करोड़ से भी अधिक जन-धन खाते खोलते हुए, देशवासियों के खाते में 28 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक राशि सीधे हस्तांतरित किये गये। आज देश में 100 करोड़ से भी अधिक लोगों के पास मोबाइल हैं। वहीं, 2014 से पहले देश में केवल 6 करोड़ लोगों के पास ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी थी, जो आज 85 करोड़ से भी अधिक है। बीते 9 वर्षों के दौरान, देश में 25 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाये गए हैं। इसी कालखंड में, 2 लाख ग्राम पंचायतों में भी ऑप्टिकल फाइबर की सेवा प्रदान की गई। आज देश के ग्रामीण इलाकों में 5 लाख से

अधिक कॉमन सर्विस सेंटर कार्यरत हैं, जिससे लोगों का जीवन बेहद आसान हो रहा है। यही कारण है कि आज हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था, हमारे समग्र अर्थव्यवस्था के मुकाबले ढाई गुना अधिक रफ्तार के साथ

आज देश में 100 करोड़ से भी अधिक लोगों के पास मोबाइल हैं। वहीं, 2014 से पहले देश में केवल 6 करोड़ लोगों के पास ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी थी, जो आज 85 करोड़ से भी अधिक है।

बढ़ रही है और इसके लिए सरकारी व्यवस्थाओं के साथ, हमें निजी कंपनियों की भी प्रशंसा करनी चाहिए। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत ने बीते 9 वर्षों के दौरान डिजिटल डिवाइड को कम करने में उल्लेखनीय सफलता पायी है और इसे किसी भी हालत में नज़रअंदाज नहीं किया

जा सकता है। विशेषज्ञ किसी भी समाज में डिजिटल डिवाइड के लिए आर्थिक और सामाजिक असमानता के कारणों को बारंबार उजागर करते रहे हैं। ऐसे में स्पष्ट है कि भारत ने तकनीक के माध्यम से सामाजिक असमानताओं को भी दूर करने में एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की है, जिसे पूरी दुनिया को अध्ययन करना चाहिए। आज हमारे डिजिटल सेवाओं के प्रसार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के क्षेत्र में नये अवसरों का सृजन करने के साथ ही, सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाने का भी कार्य किया है। हालांकि, अभी हमें इस दिशा में एक लंबी यात्रा तय करनी है। आने वाले समय में, हमारे सामने अपनी डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने की एक बड़ी चुनौती है और हमें पूर्ण विश्वास है कि अपनी अवसरचर्चात्मक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए हम इस चुनौती पर यथाशीघ्र जीत हासिल करेंगे।

Mukesh Malod: Farmers' movement in the interest of Dalits, the landless, too



Anil Varghese

If there is no government control, the onions for which the farmers are not getting a fair price will be sold for Rs 150 per kg to labourers. So, if someone says that MSP will make no difference to labourers, they are wrong.

Mukesh Malod, who hails from Punjab's Ludhiana district, is the president of the Zameen Prapti Sangharsh Committee (ZPSC). The organization has been fighting for the rights of the landless Dalit and farm

labourers in the Sangrur district of Punjab. Against the backdrop of the ongoing farmers' protest, Malod spoke with FORWARD Press. This is a lightly edited version of the interview:

For years you have been fighting against large farmers and for the right of Dalits to till land owned by the government (Nazul and Panchayati lands). Now, you are backing the large farmers agitating against the government and demanding fulfilment of their demands. Why so?

You see, there is a law that reserves land for the Dalits. This reserved land is one third of the Panchayati land. This land is allotted through auction and what happens is that on paper it goes to the Dalits but actually they never get possession of it. We launched a struggle demanding that the actual possession of land go to those for whom it is reserved. Another issue was when this land was auctioned, the large farmers naturally offered higher bids. The Dalits could not match them. So, our first struggle

was to demand that reserved land be priced as low as possible so that the Dalits can afford it. But the government wants to increase the reserve price of the land. It brought a law saying that the reserve price would go up every year. That led to a confrontation. In villages, Dalits are not landowners. So their women had to graze their cows, buffaloes, etc in the land of others. Their women would be abused and subjected to sexual exploitation. So, these were the issues on which our struggle was focused.

But now you have put all these issues aside and joined large farmers in their battle against the government. Why?

The large farmers usurped the land reserved for the Dalits. They also made Dalits do 'begaar' (unpaid labour) for them. For instance, if a large farmer owns 10 buffaloes and a Dalit owns one, in return for being allowed to cut fodder for his buffalo from his land, the Dalit had to cut fodder for his 10 buffaloes and haul it to his house. Thus, free labour was available to the large farmers, who were now worried that if these people (Dalits) got land, they would no longer work for them. Thus the large farmers and the government both did not want the Dalits to get land. That was why our struggle was against the large farmers as well as the government and its officers.

But now you are fighting shoulder to shoulder with the very same farmers against the central government.

As far as the Delhi agitations go whether the earlier one against the three farm laws or this one I think two or three things are important for us. First, that the Modi government is attacking the people as part of its fascist agenda. One by one it is



**Mukesh Malod, president,
Zameen Prapti Sangharsh
Committee**

targeting all sections of society. So, everyone needs to come together to fight it. That was why we backed the earlier agitation and whenever the Samyukta Kisan Morcha (SKM) gave a call, we extended our support to it. Second, we were certain that the three farm laws would have impacted not only the farmers but the entire country. The labourers would have been hit, for if mandis were disbanded, the labourers working there would have lost their work. There are those who sell tea or juice at mandis, those who load and unload sacks of produce. So, lakhs of people work in the mandis. All of them would have become jobless if mandis were done away with. Then, in the name of contract farming, some people want to consolidate land. We have been demanding implementation of the Punjab Land Ceiling Act 1972 under which no family can own more than 17.5 acres of land. We are fighting for that. But if the contract-farming law is enacted, a handful of people will become owners of thousands of acres. The large farmers would also lose their

land. The Dalits and the landless would be left with nothing to fight for. Finally, it would affect the law on essential commodities. So, we felt that it was not a battle of the farmers alone, it was our battle, too.

The agricultural model that came with the Green Revolution pushed a large number of labourers out of the farms. Now, if farming is done on a mega scale, as the corporates want, labourers will be completely out. At present, labourers can find at least some work in the farms. There are women who pick vegetables. Some spray fertilizers or insecticides in the fields. All these jobs will disappear. So, we had joined the farmers in the earlier movement and we still believe that we have to fight unitedly. That is why we are again standing with the farmers.

By essential commodities, do you mean the ration provided to the poor under the Public Distribution System (PDS)? Also, how is the demand of the farmers for guaranteed minimum support price (MSP) in the interest of the Dalits and the labourers?

Let us talk about the MSP demand first. Let us look at the rates of vegetables. Take garlic, whose price in the market is upwards of Rs 200 per kg. The crop is purchased from the farmers for Rs 5-10 per kg. Now, if there is an MSP, this discrepancy would be addressed. And it is not only about MSP. We want the government to purchase the produce and private players to be taken out of the market. If there is government control, onions bought from farmers for Rs 20 per kg will sell for Rs 25-30 per kg in the market. It will control black marketing. If there is no government control, the onions for which the farmers are not getting a fair price will be sold for Rs 150 per kg to labourers. So, if someone says that

MSP will make no difference to labourers, they are wrong. It will make a difference. That's why we believe that the government should control the produce market.

Some other ways of implementing MSP are being suggested. Like, the difference between the MSP and the market price can be credited to the bank accounts of the farmers. Or, that the government can purchase as much of the produce as is enough to bring the market price to the level of the MSP. Your take?

See, only a law on MSP wouldn't do much. For instance, our Punjab government asked the farmers to grow dal assuring them that it would buy the crop. But the dal remained dumped in the mandis. MSP was announced for corn but there were no buyers. So, only MSP won't do. The key is government control. The government should control the markets instead of handing them over to private players or corporates. This will benefit both the farmers as well as the consumers.

You just talked about lentil that the state government asked the farmers to grow lentil and said they would pay MSP. What does this mean?

They told the farmers, 'You cultivate moong and we will purchase it.' But no one purchased it. The growers were ruined.

If, as you say, everything is placed under government control, what difference will it make?

If it is under government control, I think the benefits will accrue to all. In the case of dal, the government had not guaranteed purchase. It had only said that they would fix an MSP.

We are told that the Dalits, who form more than 30 per cent of Punjab's population, own just two per



cent of the agricultural land. Do Dalits see their future in farming? Or would they prefer some other sector?

Even today, as compared with other sectors, Dalits have a greater association with the farm sector. You are right. Dalits are almost 35 per cent of the state's population but they own less than two per cent of the land. We are fighting on this issue. We want the Land Ceiling Act 1972 amended. When this law was enacted, productivity was low and keeping that in mind, the area that could be owned by a person was capped at 17.5 acres. Now, the productivity is much higher and so we are demanding that the ceiling be lowered to 10 acres and that the land that would be released as a result be distributed among the landless and the Dalits. We held a demonstration on this issue today. We have been agitating consistently with this demand. The 2007 report of the Planning Commission also says that this [land holdings exceeding ceiling] is a big stumbling block in the nation's progress and that if the landless get land, the country will

progress.

During the Covid-19 pandemic we saw that those who owned land managed to survive with comparative ease while others had to sustain massive losses. So, the land ceiling law should be implemented. That will make Dalits owners of land. We had conducted a survey, though it covered only a few villages. We found that only a few people owned land. Some had 100 acres, others had 150 acres. Top politicians from the state openly boast to the media about the land they own. For instance, [Akali Dal leader and former deputy chief minister] Sukhbir Singh Badal said in an interview that he cultivated 2,500 acres of land. The government should ask him that when the law says no one can have more than 17.5 acres of land, how is he in possession of 2,500 acres!

Is what the commentators from outside Punjab, policymakers or politicians are saying about the farmers' movement in sync with the socio-economic ground realities?

You see, the Punjab government



recently held a dialogue with some farmers' organizations. The government said that it wanted to make changes in the agricultural model and invited suggestions from the farmers. The farmers gave their suggestions. But when it came to taking a decision, the government relied on the advice of a multinational company. Doesn't this mean that the government gives less importance to the farmers, that it thinks that they are inferior?

If you see the topography of Punjab, there is one part with ample water. The land there is swampy and water is available above the surface. Then, there is another part which has no water at all. If the government wants, it can implement a new agricultural model taking all these facts into account. There is no other way out. Over the next 5-10 years, the situation will take a turn for the worse in parts where there is less water. Punjab means "land of five rivers". And if water is not available in the land of rivers, you can just imagine the irony.

How has the last farmers'

movement changed the relations between big farmers and labourers?

These relations are related to caste and one movement won't make much difference. You see, we frankly, openly say that we will have to fight on the issue of caste in society. If labourers become owners of land, it will bring about economic equality. At the same time, at the social level, inter-caste marriages and other practices would lead to cultural changes. That is how the issue of caste can be resolved. If someone says that the farmers and the labourers have become very close after the Delhi movement, that is not true. Yes, there was some camaraderie till the movement lasted. Slogans hailing the unity of the farmers and the labourers were raised from the dais. But after the success of the movement, this slogan disappeared. That is the truth. The struggle for equality is a different one and that too needs to be waged. There is no solution without it.

Don't you think the last farmers' movement has made things a bit easier for the movement for equality?

If any agitation gets such massive support, it does make things easier. The farmers' movement succeeded because all sections of the people backed it. The central government uses religion and caste to divide people and to fulfil its agenda. So, what we are trying to do is to defeat this plan as far as we can. The Dalits were repeatedly told that the new farm laws were great and that the farmers, as a class, were their enemies. But that is not true. Many organizations of the farmers have supported protests by the labourers. It is not fair to paint everyone in the same colour. Some people who are agents of the RSS [Rashtriya Swayamsevak Sangh] are perpetually busy dividing the people. At the same time, there are others who are trying to bring the people together, trying to unite the organizations of the farmers and of the labourers.

Coming back to the ongoing farmers' protests, what kind of dialogue have you had with the government?

The talks have been far from comprehensive. The government offered MSP on some crops for a period of five years. They also talked of bringing an ordinance. But the farmers' bodies were not convinced. Another point is that this is not happening on the call of the Samyukta Kisan Morcha (SKM). Those who are part of the negotiations are not part of SKM. So, what some people say doesn't matter. Everyone has faith in SKM. Of course, if there is oppression anywhere, all speak up against the government. The movement has not ended yet. It has just begun. Let us see what happens in the days to come.

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल



जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.
संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.